722वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 15 फरवरी 2024

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल से पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त परियोजनाओ के तकनीकी परीक्षण हेतु राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की 722वीं बैठक दिनांक 15/02/2024 को डॉ. पी.सी. दुबे की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें समिति के निम्नलिखित सदस्य स्वयं/वीडियों कॉफ्रेसिंग के माध्यम से उपस्थित रहें :–

1. श्री राघवेन्द्र श्रीवास्तव, सदस्य ।
2. प्रो. (डॉ.) रूबीना चौधरी, सदस्य ।
3. डॉ. ए.के. शर्मा, सदस्य ।
4. प्रो. अनिल प्रकाश, सदस्य ।
5. डॉ. जय प्रकाश शुक्ला, सदस्य ।
6. डॉ. रवि बिहारी श्रीवास्तव, सदस्य ।
7. सदस्य सचिव ।

सभी सदस्यों द्वारा अक्ष्यक्ष महोदय के स्वागत के साथ बैठक प्रारंभ करते हुए बैठक के निर्धारित एजेण्डा अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त प्रोजेक्ट्सों का तकनीकी परीक्षण निम्नानुसार किया गया :–

1. <u>Case No. P2/15/2024 Shri Dharmendra Rawat, R/o-Near Manshapooran Temple, ward no.01, Shivpuri, District-Shivpuri, M.P, 473551. Prior Environment Clearance for Tongara Murram Quarry in an area of 2.00 ha. (25000 cum per year) (Khasra No. 1960), Village-Tongara, Tehsil-Shivpuri, District-Shivpuri (MP). TOR.</u>

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 15/02/2024 को परियोजना प्रस्तावक Smt. Dharmendra Rawat, Owner एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री रामराघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आई.एन.सी., वडोदरा (गुजरात) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी /संस्थान का नाम व पता	Shri Dharmendra Rawat, R/o-Near Manshapooran Temple, ward no.01, Shivpuri, District-Shivpuri, M.P, 473551, Prior Environment Clearance for Murrum Quarry with a production capacity of 25,000 m3/year Murrum having a lease area of 2.00 hectare, at Khasra No. 1960 (Govt. land) Village - Tongara, Tehsil- Shivpuri, District- Shivpuri (M.P.).	
परियोजना का खसरा नं./लीज	खसरा नं.– 1960,	एरिया– 2.00 ha., शासकीय भूमि

क्षेत्रफल		
परियोजना स्थल	Village - Tongara, Tehsil- Shivpuri, District- Shivpuri (M.P.)	
सैंधातिक सहमति	पत्र क्र0. 13265 दिनांक 05/10/2023.	
परियोजना की श्रेणी	बी–1, **परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित टॉर दिया गया है।**	
जल/वायु सम्मति नवीनीकरण	-	
खनन् कार्य ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	**लागू नही।**	
डिया द्वारा जारी ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	**लागू नही।**	
उत्पादन क्षमता	• **मुरूम – 25000 घनमीटर/वर्ष** ।	
परियोजना के 500 मीटर की परिधि में संचालित /स्वीकृत अन्य खदानों का विवरण।	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शिवुपुरी के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1391 दिनांक 30/11/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 01 खदान स्वीकृत है, जिनको मिलाकर कुल रकबा 6.00 हे. होता है, अतः प्रकरण बी–1 श्रेणी के अंतर्गत आता है।	
परियोजना के संबंध में डीएफओ की एनओसी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शिवुपुरी के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1391 दिनांक 30/11/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।	
परियोजना के संबंध राजस्व जानकारी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शिवुपुरी के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1391 दिनांक 30/11/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, नाला इत्यादि स्थित नहीं है।	
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत/ नगर परिषद्	ग्राम पंचायत – टोंगरा, जिला – शिवुपुरी का ठहराव प्रस्ताव क्र0. 04 दिनांक 24/01/2023द्वारा अनापत्ति पत्र जारी किया गया है।	
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	Tree existed - Yes	
जल/वायु सम्मति वैद्यता	वैद्यता दिनांक 31/10/2022.	
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शिवुपुरी के पत्र क्रमांक 1390 दिनांक 30/11/2023 अनुसार ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट मे जोडा जावेगा।	

उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर–डी में उल्लेखित मानक शर्तो व विशिष्ट शर्तो के साथ टी.ओ.आर. जारी करने की समिति अनुशंसा करती है :–

1. प्रश्नाधीन खदान में कुछ पेड़ लगे दिख रहे है, अतः उसकी प्रजाति, ऊचाई एवं गर्थ के फोटोग्राफ सहित ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
2. प्रश्नाधीन खदान के 500 मी. की परिधि में स्थित संवेदनशील घटकों(जैसे प्राकृतिक नाला, नदी, नहर, आबादी कच्ची एवं पक्की सडक, पुरातत्व महत्व के स्थल इत्यादि) की खदान से दूरी दर्शातें हुये एवं स्थानवार मापदण्ड छोडते हुये सरफेस मेप को ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
3. यदि प्रकरण पेसा (PESA) ग्राम में स्थित है तो पेसा (PESA) ग्राम सभा का प्रस्ताव।
4. ई.आई.ए. अध्ययन के दौरान क्षेत्र में 04 से 05 स्थानों (जिसमें से एक स्थान आवंटित खनन् क्षेत्र के बैरियर जोन में हो) पर 01 मी. X 01 मी. X 01 मीटर का ट्राईल पिट खोद कर उसके स्वाईल प्रोफाइल का अध्ययन कर वृक्षारोपण का स्थान, प्रजाति एवं रोपण योजना का विवरण ई. आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
5. यदि भू–जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजीकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करें ।
6. रेनवॉटर हार्वेस्टिंग हेतु किसी विशेषज्ञ द्वारा एक्यूफर, परकोलेशन टेंक, रिर्चाज शॉफ्ट एवं सब सरफेस डायक का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
7. ओव्हर बर्डन एवं टॉपस्वाइल मैनेजमेंट प्लॉन, ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।
8. परियोजना प्रस्तावक ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करे जिसमें इस खदान का विवरण दर्ज हो ।
9. खदान क्षेत्र से यदि खेत लगे हुये हो तो 25 मी. का सेटबेक दर्शातें हुये सरफेस मेप प्रस्तुत करें।
10. सी.ई.आर. योजना के अंतर्गत श्री–अन्न एवं जैविक खाद निर्माण, उत्पादन, उपयोग, मार्केटिंग, प्रोत्साहन आदि प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रत्येक 6–6 माह में कृषि विज्ञान केन्द्र के माध्यम से ग्राम में करने का प्रस्ताव बजट सहित प्रस्तुत करे।
11- स्थानीय स्तर पर कार्बन के दूष्प्रभाव को रोकने के लिये एक व्यवसायिक व्यवस्था के अंतगर्त 500 मीटर से 1.0 किलोमीटर के अंदर किसानो द्वारा लगाये गये बढे पेडो को चिन्हित कर इनके द्वारा अवशोषित कार्वन डाइआक्साइड के एवज् में किसानो को भुगतान किया जावेगा, कार्बन फुटप्रिन्ट हेतु किसानों को देय राशि ई.एम.पी. में शामिल किया जाये।

2. **Case No. P2/01/2023 Shri SATISH JAISWAL,Proprietor, R/o-136, Tilak Path, Opp Pipal Awar, District-Khargone (M.P.). Prior Environment Clearance for HARRAHA (CRUSHER) STONE QUARRY in an area of 3.50 ha. (14550 cum per year) (Khasra No. 486), Village- Surpala, Tehsil-Khargone, District- Khargone (MP) B-2-DEIAA.**

प्रस्तावित पत्थर खदान बी–2 श्रेणी के अंतर्गत डिया द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनर्मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 15/02/2024 को परियोजना प्रस्तावक श्री सतीश जयसवाल एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमर सिंह यादव, मेसर्स एसीरीज इंनवायरोटेक इंडिया प्रा. लि. लखनऊ उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना का नाम व पता	Shri SATISH JAISWAL,Proprietor, R/o-136, Tilak Path, Opp Pipal Awar, District-Khargone (M.P.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	486 (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लेंड)	3.500 hectare.
स्थल	Village- Surpala, Tehsil-Khargone, Dist.- Khargone, Madhya Pradesh.	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला खरगौन के पत्र क्रमांक 475 दिनांक 13/10/17 के द्वारा स्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया खरगौन के पत्र क्रमांक 63 दिनांक 30/05/2016 के द्वारा पत्थर– 14550 घनमीटर /वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है ।	
प्रकरण की स्थिति	डिया से सिया ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर– 14550 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार पत्थर– 14550 घनमीटर/वर्ष है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला खरगौन के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1546 दिनांक 09/11/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदन संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी–2 श्रेणी का है।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला खरगौन के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1546 दिनांक 09/11/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला खरगौन के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1546 दिनांक 09/11/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/तालाब/बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।	

ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत सुरपाला जिला खरगौन के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक–4 दिनांक 10/04/2015 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य का प्रस्ताव पारित ।
गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	उत्तर दिशा– हालेज रोड– 10 मी.
	दक्षिण दिशा– रेस्ट शेल्टर–246 मी.
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के एनेक्जर–आर–1 के सरल क्रमांक–29. पर दर्ज है ।

उपरोक्त खदान को पूर्व में डिया जिला स्तरीय समिति द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसकी शर्तों के पालन प्रतिवेदन एवं अन्य बिन्दुओं के दृष्टिगत पुर्न मूल्यांकन हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया है। समिति द्वारा ई.सी. में अधिरोपित शर्तो की समीक्षा की गई ।

डिया की ई.सी. में अधिरोपित शर्तो की समीक्षा	**पालन प्रतिवेदन की वर्तमान स्थिति**
लीज के चारों ओर फेन्सिग की वर्तमान स्थिति	अपूर्ण पायी गई।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तो के अनुसार वृक्षारोपण की वर्तमान स्थिति एवं बेरियर जोन में 7.50 मीटर पर वृक्षारोपण	अपूर्ण पायी गई।
गारलेण्ड ड्रेन एवं सेटलिंग टेंक की वर्तमान स्थिति	अपूर्ण पायी गई।
अनुमोदित माईनिंग प्लान के अनुसार खनन किये गये पिट्स में बैंचेस की स्थिति।	अवलोकित नहीं हुई।
पौधारोपण की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया कि खदान क्षेत्र में लगभग 100 पेड़ लगाये गये एवं 1050 पेड़ बांटे गये।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तो के अनुसार सामाजिक कार्य का विवरण भौतिक लक्ष्य, बजट	कोई प्रमाणिक साक्ष्य प्रस्तुत किये गये।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर–14550 घनमीटर/वर्ष ।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 09.64 लाख एवं रिक्रिंग राशि रू. 05.47 लाख प्रति वर्ष ।
3. पिट्स में बैंचेस/बेरियर जोन की स्थिति को रि–स्टोर किया जावें।
4. माईन रिस्टोरेशन कार्य माईन प्लान के अनुसार 01 वर्ष में पूर्ण किया जावें तथा खनिज अधिकारी द्वारा इसकी पूर्णता की पुष्टि की जावें तथा सभी शर्तो का पालन न होने की स्थिति में सिक्योरिटी राशि से उक्त कार्य विभागीय स्तर से किया जावें।

5. **डिया द्वारा जारी ई.सी की समस्त शर्तो का एवं उपरोक्तानुसार दर्शायें गये कार्यो को पूर्ण कर विस्तृत पालन प्रतिवेदन खनिज अधिकारी से प्रमाणिकृत करवाकर 03 माह के अंदर सिया के समक्ष प्रस्तुत करेगें।**
6. परियोजना प्रस्तावक के अनुसार लीज क्षेत्र में क्रेशर प्लान्ट प्रस्तावित नही है, अतः लीज क्षेत्र में क्रेशर प्लान्ट स्थापित करने की अनुमति नही दी जा सकेगी।
7. खनन क्षेत्र से बाहर प्रस्तावित माईन आधारित क्रेशर प्लान्ट हेतु म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नियमानुसार स्थापना एवं संचालन सम्मति प्राप्त करना होगी।
8. अन्य शर्तो का पालन प्रतिवेदन नियमानुसार प्रत्येक 06 माह में खनिज अधिकारी से प्रमाणिकृत करवाकर सिया के समक्ष प्रस्तुत करेगें।
9. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.82 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी.ई.आर मद में **प्रस्तावित गतिविधि**	**राशि (रु. में)**
ग्राम सुरपाला के प्राथमिक स्कूल में कंप्यूटर, प्रिंटर तथा कंप्यूटर टेबल की व्यवस्था की जाएगी राशि 03 माह के अंदर शिक्षक पालक संघ के खातें में जमा कर दी जावेगी।	32,266/–
ग्राम सुरपाला **के किसान वाशियो के लिए कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से जैविक खाद्य निर्माण एवं उपयोग के लिए सतत प्रशिक्षण**	50,000/–

10. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 3150 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

क्रं.	**वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान**	**पौधों की प्रजातियॉ**	**मात्रा (संख्या में)**
1	बैरियर जोन	नीम, पीपल, सेमल, चिरौल, करंज, कुसुम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ,	780
2	परिवहन मार्ग (1.5 मी. से अधिक ऊचाई के पौधें।)	नीम, पीपल, सेमल, चिरौल, करंज, कुसुम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ,	134
3	सुरपाला ग्रामवासियों में वितरण हेतु	बेल, इमली, आंवला, कटहल, आम, सीताफल, मुनगा, अमरूद।	2176
4	शासकीय विद्यालय में (पूर्ण सुरक्षा सहित)	कचनार, पुत्ररंजीवा मौलश्री और कुसुम अन्य सजावटी पेड़इत्यादि।	60
5	चारागाह के विकास हेतु	चारागाह हेतु फोडर ट्रीज ग्राम पांचयत के माध्यम से लगाये जायेंगे। जिसकी लागत ई.एम.पी. में दी गई है ।	
उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें खनन अवधि तक उन पौधों का रख–रखाव / मृत			

पौधों का बदलाव खनन् अवधि तक किया जाये । गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका सरंक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गॉव का नाम, लाभांवित व्यक्ति/कृषक का नाम, मोबाईल नम्बर, खसरा नम्बर एवं प्रजाति का विवरण तथा कितने पौधे वितरित किये गये की संख्या देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे।

उक्त प्रकरण की समीक्षा की गई तकनीकी दृष्टिकोण से अनुशंसा किये जाने योग्य है, परन्तु उल्लेखनीय है कि डिया प्रकरणों के रिअप्राईजल के संबंध में MOEF &CC के OM दिनांक 15/01/2024 के माध्यम से SOP जारी किया गया है। इस प्रकरण हेतु आवेदन 15 जनवरी के पूर्व का है, अतः प्रकरण की समीक्षा एवं अनुशंसा पूर्व में निर्धारित प्रक्रिया अनुसार की गई है। अतः MOEF&CC के OM दिनांक 15/01/2024 के परिपालन में निर्णय एवं अग्रिम कार्यवाही सिया स्तर से किये जाने का आग्रह है।

3. Case No P-2/38/2024 DIPTI CHAUHAN, PROPRIETOR M/S A.S.C. STONE CRUSHER, H-102, SUN VALLEY, NEAR NEW COLLECTORATE, GWALIOR (M.P.). 474006. Prior Environment Clearance for of 2.00 Hectare Area, Khasra No. - 3229 in Village – Iklaud, Tehsil – Vijaypur, District- Sheopur (M.P.) (Maximum Production – 61,446 Cubic Meter) (Boulder-5643, Gitti-50,160 m3 & M-Sand -5,643 m3) B2 Case.

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 15/02/2024 को परियोजना प्रस्तावक DIPTI CHAUHAN, PROPRIETOR, एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमर सिंह यादव, ऑनलाईन मेसर्स एसीरिज इंवायरोटेक इंडिया प्रा.लि., नोयडा, (उ.प्र.) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी /संस्थान का नाम व पता	DIPTI CHAUHAN, PROPRIETOR M/S A.S.C. STONE CRUSHER, H-102, SUN VALLEY, NEAR NEW COLLECTORATE, GWALIOR (M.P.). 474006 Prior Environment Clearance for Iklaud Crusher Stone quarry for making Boulder, Gitti & M-sand through Crusher of 2.00 Hectare Area, Khasra No. - 3229 in Village – Iklaud, Tehsil – Vijaypur, District- Sheopur (M.P.) (Maximum Production – 61,446 Cubic Meter) (Boulder-5643, Gitti-50,160 m3 & M-Sand -5,643 m3)	
परियोजना का खसरा नं.	खसरा नं.– 3229,	एरिया– 2.00 ha., शासकीय भूमि

/लीज क्षेत्रफल		
परियोजना स्थल	Village – Iklaud, Tehsil – Vijaypur, District- Sheopur (M.P.)	
सैंधातिक सहमति	पत्र क्र0. 13482 दिनांक 09/10/2023.	
परियोजना की श्रेणी	**बी–2.** Fresh EC.	
जल/वायु सम्मति नवीनीकरण	CONSENT WILL BE OBTAINED AFTER EC.	
खनन् कार्य ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	• Controlled blasting techniques, Muffle Blasting and use of sandbags. (As per Parivesh Portal up-loaded information).	
डिया द्वारा जारी ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	**लागू नहीं।**	
उत्पादन क्षमता	• Boulder - 5643 m3 • Gitti-50,160 m3 • M-Sand -5,643 m3. (Maximum Production – 61,446 Cubic Meter/Year)	
परियोजना के 500 मीटर की परिधि में संचालित /स्वीकृत अन्य खदानों का विवरण।	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला श्योरपुर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 13843 दिनांक 24/11/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदानें स्वीकृत नही है, जिनको मिलाकर कुल रकबा 4.00 हे. होता है, अतः प्रकरण बी–2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।	
परियोजना के संबंध में डीएफओ की एनओसी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला श्योरपुर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 13843 दिनांक 24/11/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।	
परियोजना के संबंध राजस्व जानकारी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला श्योरपुर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 13843 दिनांक 24/11/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, नाला इत्यादि स्थित नहीं है।	
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत/ नगर परिषद्	ग्राम पंचायत – इकलोद, जिला – श्योरपुर का ठहराव प्रस्ताव क्र0. 07 दिनांक 02/10/2021 द्वारा अनापत्ति पत्र जारी किया गया है।	
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	Tree existing - No	
प्रस्तावित खदान की गूगल इमेज अनुसार स्थिति (यदि सेटबैक आवश्यक हो)	दक्षिण दिशा– आबादी– लगभग 450 मी.	
जल/वायु सम्मति वैद्यता	वैद्यता दिनांक 31/10/2022.	

जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला श्योरपुर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 13843 दिनांक 24/11/2023 द्वारीा अवगत कराया कि उक्त खदान का नाम जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट मे अद्यतन कर लिया जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता **Boulder-5643, Gitti-50,160 m3 & M-Sand -5,643** घनमीटर/वर्ष ।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 18.32 लाख एवं रिक्रिंग राशि रू. 03.32 लाख प्रति वर्ष ।
3. परियोजना प्रस्तावक के अनुसार लीज क्षेत्र में क्रेशर प्लान्ट प्रस्तावित नही है, अतः लीज क्षेत्र में क्रेशर प्लान्ट स्थापित करने की अनुमति नही दी जा सकेगी।
4. खनन क्षेत्र से बाहर प्रस्तावित माईन आधारित क्रेशर प्लान्ट हेतु म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नियमानुसार स्थापना एवं संचालन सम्मति प्राप्त करना होगी।
5. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.60 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सीइ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि.	राशि (रु. में)
शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय इकलौद मे एक कम्प्यूटर, प्रिंटर, प्रिंटर टेबल के साथ और 1 माइक्रोस्कोप (राशि 03 माह के अंदर शिक्षक पालक संघ के खातें में जमा कर दी जावेगी।)	60,000

6. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 2400 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

क्रं.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन	नीम, पीपल, आँवला, चिरोल, सिस्सू, बॉस, करंज, सीताफल, खमेर एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ	1800
2	ग्राम पंचायत भवन एवं शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय इकलौद में	कदम्ब, कचनार, चिरोल, नीम, पीपल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ	200
3	परिवहन मार्ग (1.5 मी. से	कदम्ब, कचनार, चिरोल, नीम, पीपल, आम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ ट्री गार्ड के साथ	200

	अधिक ऊचाई के पौधें।)		
4	ग्रामवासियों मे वितरण हेतु (पूर्ण सुरक्षा सहित)	इमली, आवंला, नीबू, बेल, आम, जामुन, कटहल, मुनगा, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ।	200
उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें खनन अवधि तक उन पौधों का रख–रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन् अवधि तक किया जाये । गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका सरंक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गॉव का नाम, लाभांवित व्यक्ति/कृषक का नाम, मोबाईल नम्बर, खसरा नम्बर एवं प्रजाति का विवरण तथा कितने पौधे वितरित किये गये की संख्या देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे।			

अनुशंसा– प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तो के साथ परियोजना को पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

4. Case No P-2/39/2024 Shri HIMMAT SINGH, 237 GRAM MAUKHEDI, TEHSIL- PIPLODA, DISTRICT- RATLAM, M.P. Prior Environment Clearance for Laterite and Overburden in an area of 27.140 ha. (Laterite – 50179 TPA and Overburden – 1994 TPA) (Khasra No. 106) ग्राम खेजडियामेघा तसहील सुवासरा जिला मंदसौर (म.प्र.) (TOR)

प्रस्तावित लेटेराइट खदान बी–1 श्रेणी के पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए टॉर का है, जिसमें आज दिनांक 15/2/2024 को परियोजना प्रस्तावक श्री हिम्मत सिंह एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार M/s. Creative Enviro Services, Bhopal (MP) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना का नाम व पता	**Shri HIMMAT SINGH,** 237 GRAM MAUKHEDI, TEHSIL- PIPLODA, DISTRICT- RATLAM, M.P.	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	106 (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लेंड)	27.140 hectare.
स्थल	ग्राम खेजडियामेघा तसहील सुवासरा जिला मंदसौर (म.प्र.)	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रतलाम के पत्र क्रमांक 10748 दिनांक 05/08/22 के द्वारा स्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित नही है।	
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट	

उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा Laterite – 50179 TPA and Overburden – 1994 TPA हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार Laterite – 50179 TPA and Overburden – 1994 TPA है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रतलाम के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1918 दिनांक 10/10/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत नही है, अतः प्रकरण बी–1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रतलाम के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1918 दिनांक 10/10/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रतलाम के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1918 दिनांक 10/10/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत खेजडियामेघा जिला रतलाम के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 289 दिनांक 11/02/22 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
वृक्षों की वर्तमान स्थिति	Tree Existg - Yes
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रतलाम के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1918 दिनांक 10/10/2023 अनुसार उक्त खदान नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में सम्मिलित कर ली जावेगी ।

उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर–डी में उल्लेखित मानक शर्तो व विशिष्ट शर्तो के साथ टी.ओ.आर. जारी करने की समिति अनुशंसा करती है :–

1. प्रश्नाधीन खदान में कुछ पेड़ लगे दिख रहे है, अतः सम्पूर्ण ट्री इनवेन्ट्री उसकी प्रजाति, ऊचाई एवं गर्थ के फोटोग्राफ सहित ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
2. लीज क्षेत्र के उत्तर–पश्चिम दिशा में स्टॉप डेम स्थित है अतः इसकी संरक्षण योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।

3. सी.ई.आर. योजना के अंतर्गत श्री–अन्न एवं जैविक खाद निर्माण, उत्पादन, उपयोग, मार्केटिंग, प्रोत्साहन आदि प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रत्येक 6–6 माह में कृषि विज्ञान केन्द्र के माध्यम से ग्राम में करने का प्रस्ताव बजट सहित प्रस्तुत करे।
4- स्थानीय स्तर पर कार्बन के दूष्प्रभाव को रोकने के लिये एक व्यवसायिक व्यवस्था के अंतगर्त 500 मीटर से 1.0 किलोमीटर के अंदर किसानो द्वारा लगाये गये बढे पेडो को चिन्हित कर इनके द्वारा अवशोषित कार्वन डाइआक्साइड के एवज् में किसानो को भुगतान किया जावेगा, कार्बन फुटप्रिन्ट हेतु किसानों को देय राशि ई.एम.पी. में शामिल किया जाये।
5. लीज के बगल में कृषि भूमि है अतः खनन कार्य के दुष्प्रभाव का आकलन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
6. ओवर बर्डन प्रबंधन योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
7. प्रश्नाधीन खदान के 500 मी. की परिधि में स्थित संवेदनशील घटकों(जैसे प्राकृतिक नाला, नदी, नहर, आबादी कच्ची एवं पक्की सडक, पुरातत्व महत्व के स्थल इत्यादि) की खदान से दूरी दर्शातें हुये एवं स्थानवार मापदण्ड छोडते हुये सरफेस मेप को ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
8. कलस्टर मैनेजमेन्ट प्लान।
9. यदि प्रकरण पेसा ग्राम में स्थित है तो पेसा ग्राम सभा का प्रस्ताव।
10. ई.आई.ए. अध्ययन के दौरान क्षेत्र में 04 से 05 स्थानों (जिसमें से एक स्थान आवंटित खनन् क्षेत्र के बैरियर जोन में हो) पर 01 मीटर X 01 मीटर X 01 मीटर का ट्राईल पिट खोद कर उसके स्वाईल प्रोफाइल का अध्ययन कर वृक्षारोपण का स्थान, प्रजाति एवं रोपण योजना का विवरण ई. आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
11. यदि भू–जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजीकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करें ।
12. रेनवॉटर हार्वेस्टिंग हेतु किसी विशेषज्ञ द्वारा एक्यूफर, परकोलेशन टेंक, रिर्चाज शॉफ्ट एवं सब सरफेस डायक का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
13. ओव्हर बर्डन एवं टॉपस्वाइल मैनेजमेंट प्लॉन, ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।
14. परियोजना प्रस्तावक ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करे जिसमें इस खदान का विवरण दर्ज हो ।
15. खदान क्षेत्र से यदि खेत लगे हुये हो तो 25 मी. का सेटबेक दर्शातें हुये सरफेस मेप प्रस्तुत करें।

5. <u>Case No P-2/ 41 /2024 Shri HIMMAT SINGH, 237 GRAM MAUKHEDI, TEHSIL-PIPLODA, DISTRICT- RATLAM, M.P. M.P. Prior Environment Clearance for Laterite and Lateritic soil in an area of 5.935 ha. (Laterite – 50193 TPA and Lateritic soil – 1956 TPA) (Khasra No. 2811] 2812)</u> <u>ग्राम रूनिजा तसहील सुवासरा जिला मंदसोर (म.प्र.) (TOR)</u>

प्रस्तावित **Laterite and Lateritic soil** खदान बी–1 श्रेणी के पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए टॉर का है, जिसमें आज दिनांक 15/2/2024 को परियोजना प्रस्तावक श्री हिम्मत सिंह एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार M/s. Creative Enviro Services, Bhopal (MP) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना का नाम व पता	Shri HIMMAT SINGH, 237 GRAM MAUKHEDI, TEHSIL- PIPLODA, DISTRICT- RATLAM, M.P.	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	2811, 2812 (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लेंड)	5.935 hectare.
स्थल	ग्राम रूनिजा तसहील सुवासरा जिला मंदसोर (म.प्र.)	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मंदसोर के पत्र क्रमांक 10750 दिनांक 05/8/22 के द्वारा स्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित नही है ।	
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा Laterite – 50193 TPA and Lateritic soil – 1956 TPA हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार Laterite – 50193 TPA and Lateritic soil – 1956 TPA है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मदसोर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1919 दिनांक 10/10/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत नही है, अतः प्रकरण बी–1 श्रेणी का है।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मदसोर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1919 दिनांक 10/10/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मदसोर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1919 दिनांक 10/10/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।	
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत रूनीजा जिला मंदसोर के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 199 दिनांक 11/10/21 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।	

वृक्षों की वर्तमान स्थिति	Tree existing- Yes
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मदसोर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1919 दिनांक 10/10/2023 अनुसार उक्त खदान नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में सम्मिलित कर ली जावेगी ।

उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर–डी में उल्लेखित मानक शर्तो व विशिष्ट शर्तो के साथ टी.ओ.आर. जारी करने की समिति अनुशंसा करती है :–

1. प्रश्नाधीन खदान में कुछ पेड़ लगे दिख रहे है, अतः उसकी प्रजाति, ऊचाई एवं गर्थ के फोटोग्राफ सहित ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
2. सी.ई.आर. योजना के अंतर्गत श्री–अन्न एवं जैविक खाद निर्माण, उत्पादन, उपयोग, मार्केटिंग, प्रोत्साहन आदि प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रत्येक 6–6 माह में कृषि विज्ञान केन्द्र के माध्यम से ग्राम में करने का प्रस्ताव बजट सहित प्रस्तुत करे।
3- स्थानीय स्तर पर कार्बन के दूष्प्रभाव को रोकने के लिये एक व्यवसायिक व्यवस्था के अंतगर्त 500 मीटर से 1.0 किलोमीटर के अंदर किसानो द्वारा लगाये गये बढे पेडो को चिन्हित कर इनके द्वारा अवशोषित कार्वन डाइआक्साइड के एवज् में किसानो को भुगतान किया जावेगा, कार्बन फुटप्रिन्ट हेतु किसानों को देय राशि ई.एम.पी. में शामिल किया जाये।
4. लीज के बगल में कृषि भूमि है अतः खनन कार्य के दुष्प्रभाव का आकलन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
5. ओवर बर्डन प्रबंधन योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
6. प्रश्नाधीन खदान के 500 मी. की परिधि में स्थित संवेदनशील घटकों(जैसे प्राकृतिक नाला, नदी, नहर, आबादी कच्ची एवं पक्की सडक, पुरातत्व महत्व के स्थल इत्यादि) की खदान से दूरी दर्शातें हुये एवं स्थानवार मापदण्ड छोडते हुये सरफेस मेप को ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
7. यदि प्रकरण पेसा ;च्ै।द्ध ग्राम में स्थित है तो पेसा ;च्ै।द्ध ग्राम सभा का प्रस्ताव।
8. ई.आई.ए. अध्ययन के दौरान क्षेत्र में 04 से 05 स्थानों (जिसमें से एक स्थान आवंटित खनन् क्षेत्र के बैरियर जोन में हो) पर 01 मीटर X 01 मीटर X 01 मीटर का ट्राईल पिट खोद कर उसके स्वाईल प्रोफाइल का अध्ययन कर वृक्षारोपण का स्थान, प्रजाति एवं रोपण योजना का विवरण ई. आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
9. यदि भू–जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजीकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करें ।
10. रेनवॉटर हार्वेस्टिंग हेतु किसी विशेषज्ञ द्वारा एक्यूफर, परकोलेशन टेंक, रिर्चाज शॉफ्ट एवं सब सरफेस डायक का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
11. ओव्हर बर्डन एवं टॉपस्वाइल मैनेजमेंट प्लॉन, ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।

12. परियोजना प्रस्तावक ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करे जिसमें इस खदान का विवरण दर्ज हो ।
13. खदान क्षेत्र से यदि खेत लगे हुये हो तो 25 मी. का सेटबेक दर्शातें हुये सरफेस मेप प्रस्तुत करें।

6. Case No P-2/42/2024 Shri Karan Singh Chhabra,Director, Treasue Island Mall, 11, Tukoganj, M.G. Road, Indore (MP) 452010. Prior Environment Clearance for Proposed Expansion of commercial complex " Indore Treasure Island". Plot number 11, South Tukoganj, Indore (M.P.). Built-up Area (Existing Area : 37411.09 sqmtr, Proposed Area : 23570.82 sqmtr). Total Land Area - 9104 Sq.M., Total Built-up Area - 60981.91 sqmtr. Cat. 8(a) Building Construction.

This is case of Prior Environment Clearance for **proposed expansion of commercial complex " Indore Treasure Island**". Plot number 11, South Tukoganj, Indore (M.P.). Built-up Area (Existing Area : 37411.09 sqmtr, Proposed Area : 23570.82 sqmtr). Total Land Area - 9104 Sq.M., Total Built-up Area - 60981.91 sqmtr. Cat. 8(a).

The PP submitted project information on the Parivesh Portal which are as given below:-

SN	Information Required	Details
1.	**Project**	SIA/MP/INFRA2/455163/2023.
2.	**Name of Applicant**	Shri Karan Singh Chhabra,Director, Treasue Island Mall, 11, Tukoganj, M.G. Road, Indore (MP) 452010.
3.	**Project details**	Prior Environment Clearance for Proposed Expansion of commercial complex " Indore Treasure Island". Plot number 11, South Tukoganj, Indore (M.P.). Built-up Area (Existing Area : 37411.09 sqmtr, Proposed Area : 23570.82 sqmtr). **Total Land Area - 9104 Sq.M., Total Built-up Area - 60981.91 sqmtr. Cat. 8(a) Building Construction Projects.**
4.	**EC Status**	M/s Indore Treasure Island Pvt. Ltd is proposing expansion in the existing Commercial Complex "Treasure Island (TI Mall)" at Plot number-11 Tukoganj M.G. Road, Indore, (M.P.).
5.	**Declaration**	Expansion Case.
6.	Description of Project	M/s Indore Treasure Island Pvt. Ltd is proposing expansion in the existing Commercial Complex "Treasure Island (TI Mall)" at Plot number-11 Tukoganj M.G. Road, Indore, Madhya Pradesh.
7.	New / Expansion /	Expansion.
8.	Consent Status	PCB ID: 10697, Valid up to 30.11.2025.
9.	Water requirement & Sources	**Existing** – Total Water Requirement: 109.49 KLD Fresh Water Requirement: 43.25 KLD Treated/Recycled Water Requirement: 66.24 KLD. **Expansion-** Total Water Requirement: 66.37 KLD Fresh Water Requirement:

		23.33 KLD Treated/Recycled Water Requirement: 43.04 KLD Source of Fresh Water: Indore Development Authority
10.	Sewage Treatment	Existing STP capacity : 110 KLD. Expansion STP capacity : 65 KLD.
11.	Consent/Authorization Status	consent to operate up to 30.11.2022 and & authorisation up to 30.11.2025.
12.		Existing – Total Water Requirement: 109.49 KLD Fresh Water Requirement: 43.25 KLD Treated/Recycled Water Requirement: 66.24 KLD ExpansionTotal Water Requirement: 66.37 KLD Fresh Water Requirement: 23.33 KLD Treated/Recycled Water Requirement: 43.04 KLD
13.	Building Permission	3560/IMC/Z11/W55/2017 dated 27.10.2017.
14.	Land Registration/Deed	Date 30/09/2015.
15.	T&CP Permission details.	No. 2152/ Date 27 / 02/ 2004.
16.	Extra Treated Water NOC	PP Apply vide letter No. Nil dated 05.12.2023.
17.	Diesel power generating capacity (power backup)	04 no DG sets of 1600 KVA.
18.	EMP/ Env. Con	Shri Pradeep Chandana, Shri Shubham Dubey, M/s ENVISOLVE LLP, Indore (M.P.), Valid up to 19/08/2024.
19.	Parking details.	Required parking @1 ECS/75 m2 of floor area = 60981.91/75 = 813 ECS Total required parking = 813 ECS
20.	Rainwater Harvesting Plan	Submiteed.

The case was presented by Env Consultant Mr Shubham Dubey M/s. ENVISOLVE LLP, Indore M.P and Shri Satendra Kumar Agarwal wherein submitted that in the existing building 06 floors are existing and 05 floors are proposed PP submitted following details about the project:

- M/s Indore Treasure Island Pvt. Ltd is proposing expansion in the existing Commercial Complex "Treasure Island (TI Mall)" at Plot number-11 Tukoganj M.G. Road, Indore, Madhya Pradesh.
- The total built-up area of the project is 60981.91 m^2.
- The proposed project is falling under Project /Activity 8(a), Building and Construction Projects, Category B (built-up area >/= 20000 m^2 and < 150000 m^2) and requires Environmental Clearance (EC) from SEAC/SEIAA, Madhya Pradesh.
- Total Plot Area- 9104 m^2
- Total Built up Area -Total Built-up Area after expansion- 60981.91 m^2

- Location of Project -Plot number 11, South Tukoganj, Indore, MP.
- Geological Location Latitude- 22°43'16.75"N; Longitude- 75°52'42.29"E
- Building Utilities -Showroom, Cafe, Multiplex, Offices
- Estimated Project Cost -Total Cost- INR 25 Crores (Approx.)
- Height of the Building -30 mtrs
- Building Permission permission obtained from Nagar Nigam , Indore vide no. 3560/IMC/Z.11/W55/2017 dated 22.10.2017.

Committee after presentation and discussion asked PP to submit following information:

1. Structural certificate shall be obtaioned by PP from the competent authority regarding existing building/ structure can be withstood/bear load of proposed expansion of commercial complex.
2. Components wise utility breck-up (existing and expansion) about the project as public utility, water requirement, DG sets, STP details, RWH details, garbage disposal, parking, STP, fire protection plan (Fire Brigade) etc.
3. Furnish details of CO2 emission & quantification from different sources and their management plan w.r.t. carbon foot print.
4. Detials about of T&CPO permission validity.
5. Proposal for solar power consumption shall be 30% of total power uses.
6. Revised CER as suggested by the committee.

7. **Case No. P2/12/2024 Shri Rajesh Rawat, Owner, H.No. 91/2, Gram Naya Kheda, District-Datia (MP)-475661 Prior Environment Clearance for Kalipahadi Crusher Stone (Gitti & M-sand) Quarry in an area of 3.99 ha. (Stone-50000, M-Sand-20000 cum per year) (Khasra No. 929), Village-Kalipahadi,Tehsil-Narwar, District-Shivpuri (MP) B2Case.**

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 15/12/2024 को परियोजना प्रस्तावक श्री हाकिम सिंह रावत अधिकृत प्रतिनिधि एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमर सिंह यादव, ऑनलाईन मेसर्स एसीरिज इंवायरोटेक इंडिया प्रा.लि., नोयडा, (उ.प्र.) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज

परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी /संस्थान का नाम व पता	Shri Rajesh Rawat, Owner, H.No. 91/2, Gram Naya Kheda, District-Datia (MP)-475661, Prior Environment Clearance for Kalipahadi Crusher Stone (Gitti & M-sand) Quarry of3.99 Hectare Area, Khasra No.929 in Village - Kalipahadi,Tehsil - Narwar, District-Shivpuri (M.P.) **{Maximum Production – 70,000 Cubic Meter (Gitti-50,000 M^3 & M-sand 20,000 M^3)}** [455215].	
परियोजना का खसरा नं. /लीज क्षेत्रफल	खसरा नं.– 929,	एरिया– 3.99 ha., शासकीय भूमि
परियोजना स्थल	ग्राम – कालीपहाड़ी, तहसील – नरवर, जिला – शिवुपुरी (म.प्र.).	
सैंधातिक सहमति	पत्र क्र0. 7117 दिनांक 12/06/2023.	
परियोजना की श्रेणी	**बी–2.** New Project.	
जल/वायु सम्मति नवीनीकरण	-	
खनन् कार्य ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	• MUFFLE BLASTING USING SANDBAGS. (As per Parivesh Portal up-loaded information).	
डिया द्वारा जारी ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	लागू नही।	
उत्पादन क्षमता	• **गिट्टी** – 50,000 cum per year. • **एम.–सेण्ड** – 20,000 cum per year.	
परियोजना के 500 मीटर की परिधि में संचालित /स्वीकृत अन्य खदानों का विवरण।	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शिवुपुरी के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 893 दिनांक 02/08/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदानें स्वीकृत नही है, जिनको मिलाकर कुल रकबा 2.00 हे. होता है, अतः प्रकरण बी–2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।	
परियोजना के संबंध में डीएफओ की एनओसी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शिवुपुरी के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 893 दिनांक 02/08/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।	
परियोजना के संबंध राजस्व जानकारी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शिवुपुरी के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 893 दिनांक 02/08/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, नाला इत्यादि स्थित नहीं है।	
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत/ नगर परिषद्	ग्राम पंचायत – कालीपहाड़ी, जिला – शिवुपुरी का ठहराव प्रस्ताव क्र0. 03 दिनांक 07/08/2021 द्वारा अनापत्ति पत्र जारी किया गया है।	
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	Tree Felling - No	
प्रस्तावित खदान की गूगल	लीज क्षेत्र पहाड़ी पर स्थित है, जिसकी ऊँचाई लगभग– 15 मी. है।	

इमेज अनुसार स्थिति (यदि सेटबैक आवश्यक हो)	उत्तर दिशा– .कच्चा रोड़ लगभग– 61 मी. एवं आबादी लगभग– 285 मी.
	दक्षिण पश्चिम दिशा– नाला लगभग– 285 मी.
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शिवपुरी के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 893 दिनांक 02/08/2023 द्वारा बताया कि इस खदान का विवरण नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में शामिल किया जावेगा। समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण समाघॉत निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 – जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता **Stone-50000, M-Sand-20000** घनमीटर/वर्ष ।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 23.55 लाख एवं रिक्रिंग राशि रू. 03.92 लाख प्रति वर्ष ।
3. परियोजना प्रस्तावक के अनुसार लीज क्षेत्र में क्रेशर प्लान्ट प्रस्तावित नही है, अतः लीज क्षेत्र में क्रेशर प्लान्ट स्थापित करने की अनुमति नही दी जा सकेगी।
4. खनन क्षेत्र से बाहर प्रस्तावित माईन आधारित क्रेशर प्लान्ट हेतु म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नियमानुसार स्थापना एवं संचालन सम्मति प्राप्त करना होगी।
5. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 01.00 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये एवं राशि भू–प्रवेश के 03 माह के भीतर जमा करा दी जावें।

सी.ई.आर मद में **प्रस्तावित गतिविधि**	**राशि (रु. में)**
शासकीय प्राथमिक स्कूल कालीपहाड़ी में 2 कम्प्युटर, प्रिन्टर, प्रिन्टर टेबल के साथ एवं दो अलमारी	1,00,000

6. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 4800 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)

1	बैरियर जोन	नीम, बॉस, करंज, सीताफल, चिरोल, सिस्सू, बॉस, खमेर, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ	2200
2	परिवहन मार्ग (1.5 मी. से अधिक ऊचाई के पौधें।)	कदम्ब, कचनार, चिरोल, नीम, पीपल, आम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ ट्री गार्ड के साथ	200
3	शास. अंकुर योजना के तहत कालीपहाड़ी ग्रामवासियों मे वितरण हेतु	इमली, आवंला, नीबू, बेल, आम, जामुन, कटहल, मुनगा, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ।	500
4	गैर खनन क्षेत्र	नीम, बॉस, करंज, सीताफल, चिरोल, सिस्सू, बॉस, खमेर, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ	1900
उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें खनन अवधि तक उन पौधों का रख–रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन् अवधि तक किया जाये । गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका सरंक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गॉव का नाम, लाभांवित व्यक्ति/कृषक का नाम, मोबाईल नम्बर, खसरा नम्बर एवं प्रजाति का विवरण तथा कितने पौधे वितरित किये गये की संख्या देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे।2ध05			

अनुशंसा– प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तो के साथ परियोजना को पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

8. Case No. P2/02/2023 Shri KRISHAN SINGH, Project Proponent, Village-Neguda, Tehsil-Churhat, District-Sidhi (MP)-486771, Prior Environment Clearance for HARRAHA (CRUSHER) STONE QUARRY in an area of 1.00 ha. (12471 cum per year) (Khasra No. 3/2/2), Village-Harraha, Tehsil-Mauganj, District-Rewa (MP) [DEIAA]

प्रस्तावित पत्थर खदान बी–2 श्रेणी के अंतर्गत डिया द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनर्मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 15/2/2024 को परियोजना प्रस्तावक **Shri KRISHAN SINGH Online** एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री राम प्रसाद Forest Environment and Climate Change Management Consultancy Pvt. Ltd, Bhopal उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना का नाम व पता	Shri KRISHAN Kumar SINGH, Project Proponent, Village-Neguda, Tehsil-Churhat, District-Sidhi (MP)-486771.

खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	3/2/2 (निजी–नॉन फॉरेस्ट लेंड परियोजना प्रस्तावक स्वयं की)	1.00 hectare.
स्थल	ग्राम HARRAHA तसहील Mauganj जिला Rewa (म.प्र.)	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रीवा के पत्र क्रमांक 2223 दिनांक 04/08/17 के द्वारा स्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	परियोजना प्रस्तावक ने फार्म–1 में लेख किया है कि mining with rock breaker जबकि अनुमोदित खनन् योजना में ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया रीवा के पत्र क्रमांक 192 दिनांक 20/12/17 के द्वारा पत्थर–24,471 घनमीटर/वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है ।	
प्रकरण की स्थिति	डिया से सिया।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर–12471 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार पत्थर–12471 घनमीटर/वर्ष है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रीवा के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 2419 दिनांक 26/07/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 02 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 04.950 हे. होता है, अतः प्रकरण बी–2 श्रेणी का है। साथ ही एक अन्य खदान 04.00 हे. दिनांक 13/06/22 से निरस्त (प्रतिसंहुत) किया गया है ।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रीवा के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 2419 दिनांक 26/07/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रीवा के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 2419 दिनांक 26/07/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।	
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत हर्रहा जिला रीवा के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक–7 दिनांक 08/05/17 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।	
वृक्षों की वर्तमान स्थिति	Tree existing - 03 Tree Felling - 03 Additional tree to be planted - 30	
गूगल इमेज अनुसार	उत्तर दिशा– स्टॉप डेम लगभग 116 मी.	

वर्तमान स्थिति	दक्षिण पूर्व दिशा– परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि लगभग 100 मी. एक निजी मकान है। दक्षिण दिशा में लगभग 132 मी. पर पक्का रोड़ है।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.–50 के सरल क्रमांक–136 पर दर्ज है ।

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान माईनिंग प्लान में ब्लास्टिंग प्रस्तावित है, उनके द्वारा नॉन ब्लास्टिंग का माईनिंग प्लान प्रस्तावित किया है अतः संशोधित माईनिंग प्लान सक्षम अधिकारी से अनुमोदित कराकर प्रस्तुत किया जावेगा। समिति ने विचारोपरांत परियोजना प्रस्तावक के प्रस्ताव को मान्य करते हुये उपरोक्त जानकारी प्रस्तुत करने हेतु एडीएस जारी किया जावे।

9. Case No. P2/03/2023 Shri HARSH TRIVEDI, Lessee, Jetapur sanawad road khargone, Prior Environment Clearance for Idaratpura Murrum Quarry in an area of 1.902 ha. (10000 cum per year) (Khasra No. 477/1, 477/5 & 476/2), Village-IDARATPUR, Tehsil-Khargone, District-Khargone (MP)

प्रस्तावित मुरूम खदान बी–2 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जिसमें आज दिनांक 15/02/22024 को परियोजना प्रस्तावक श्री हर्ष त्रिवेदी एवं एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री राम राघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आईएनसी, बडौदा, गुजरात उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना का नाम व पता	Shri HARSH TRIVEDI, Lessee, Jetapur sanawad road khargone dabriya road, Khargone (M.P.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	477/1, 477/5 & 476/2 (निजी–नॉन फॉरेस्ट लेंड परियोजना प्रस्तावक स्वयं की)	1.902 hectare.
स्थल	Village - Idaratpura, Tehsil- Khargone, District- Khargone (M.P.).	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला खरगोन के पत्र क्रमांक 1371 दिनांक 06/10/23 के द्वारा स्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	ब्लास्टिंग प्रस्तावित नहीं है ।	
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा मुरम–10,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार मुरम–10,000 घनमीटर/वर्ष है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला खरगोन के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1717 दिनांक 17/12/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में	

	अन्य कोई खदान संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी–..... श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला खरगोन के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1717 दिनांक 17/12/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला खरगोन के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1717 दिनांक 17/12/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत पत्र अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
वृक्षों की वर्तमान स्थिति	Tree existing- 23 Tree Felling - 15 Additional tree to be planted - 150
गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	दक्षिण दिशा– बण्ड– लगभग 40 मी. एवं दक्षिण पूर्वी दिशा में लगभग 108 मी. पर इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि निजी भूमि पर है।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला खरगोन के पत्र क्रमांक 1715 दिनांक 11/12/23 अनुसार उक्त उत्खनिपट्टा को आगामी जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में सम्मिलित कर लिया जावेगा । समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण समाघॉत निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 – जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता मुरूम–**10,000** घनमीटर/वर्ष ।

2. खदान क्षेत्र में 23 पेड है जिनमें से 15 पेड काटे जाना प्रस्तावित है परियोजना प्रस्तावक पेड काटने से पूर्व सक्षम अधिकारी की अनुमति आवश्यक रूप से प्राप्त करेगें एवं जिस प्रजाति के पेड काटे जाना प्रस्तावित है उसी प्रजाति के अतिरिक्त 270 पेड लगाये जाना सुनिश्चित करेगें।
3. लीज क्षेत्र के उत्तर दिशा में खेत लगे हुये है। अतः 25 मी. का सेट बैक छोड़ते हुए खनन कार्य करना सुनिश्चित करेगें।
4. जिला खनिज अधिकारी प्रत्येक 06 माह में लीज क्षेत्र के भ्रमण के दौरान यह सुनिश्चित करेगें कि प्रतिबंधित क्षेत्र में (गैर खनन क्षेत्र) कोई खनन कार्य नहीं हुआ है। यदि परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रतिबंधित क्षेत्र में (गैर खनन क्षेत्र) खनन कार्य होना पाया जाता हो तो खनिज अधिकारी गौण खनिज अधिनियम 1996 एवं यथासंशोधित नियमों के तहत् वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित करेगा एवं पर्यावरण स्वीकृति के वॉयलेशन की सूचना सिया कार्यालय को प्रस्तुत करेगा।
5. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 08.67 लाख एवं रिक्रिंग राशि रू. 01.55 लाख प्रति वर्ष ।
6. अन्य शर्तो का पालन प्रतिवेदन नियमानुसार प्रत्येक 06 माह में खनिज अधिकारी से प्रमाणिकृत करवाकर सिया के समक्ष प्रस्तुत करेगें।
7. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.36 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी.ई.आर मद में **प्रस्तावित गतिविधि**	**राशि (रु. में)**
ग्राम इदारतपुरा शासकीय विद्यालय विकास हेतु पालक शिक्षक संघ में विद्यालय विकास हेतु राशि भू प्रवेश प्राप्त मिलने के 3 माह के भीतर जमा की जावेगी ।	**20,000/-**
नजदीकी ग्रामों में जैविक खाद के उत्पादन एवं उपयोग के लाभ समझाने एवं श्री अन्न योजना के प्रचार हेतु पंचायत एवं कृषि विभाग के माध्यम से प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जावेगा ।	**16,000/-**

8. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 2460 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन में	कालासिरिस, सफेद सिरिस, नीम, सिस्सू, चिरोल, करंज, पीपल आदि एवंअन्य स्थानीय प्रजातियाँ।	560
2	परिवहन मार्ग (1.5 मी. से अधिक ऊचाई के पौधें।)	करंज, पीपल, बरगद, पुतरंजीवा, कदम्ब इत्यादि एवंअन्य स्थानीय प्रजातियाँ ट्री–गार्ड के साथ	150

3	ग्राम इदारतपुरा के के शासकीय विद्यालय परिसर में	पीपल, मोलश्री, सिस्सू, कदम्ब, कचनार, नीम आदि एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ, ट्री–गार्ड के साथ	50
4	ग्रामीणों मे पौधो का वितरण	संतरा, आमला, नींबू, सीताफल, आम, अनार, मुनगा , कटहल आदि एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	1700
उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें खनन अवधि तक उन पौधों का रख–रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन् अवधि तक किया जाये । गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका सरंक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गॉव का नाम, लाभांवित व्यक्ति/कृषक का नाम, मोबाईल नम्बर, खसरा नम्बर एवं प्रजाति का विवरण तथा कितने पौधे वितरित किये गये की संख्या देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे।			

अनुशंसा– प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तो के साथ परियोजना को पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

10. Case No. P2/04/2023 Shri RAHUL OSATWAL, Lessee, R/o- 14, old Hospital Road Jaora, Tehsil- Jaora, District- Ratlam (M.P.) Prior Environment Clearance for Badayala Chorasi Stone Quarry in an area of 2.00 ha. (15105 cum per year) (Khasra No. 43/10), Village-Badayala Chorasi, Tehsil-Piploda, District-Ratlam (MP) [DEIAA]

प्रस्तावित पत्थर. खदान बी–2 श्रेणी के अंतर्गत डिया द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनर्मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 15/02/2024 को परियोजना प्रस्तावक **Shri RAHUL OSATWAL, Online** एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री राम राघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आईएनसी, बडौदा, गुजरात उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना का नाम व पता	Shri RAHUL OSATWAL, Lessee, R/o- 14, old Hospital Road Jaora, Tehsil- Jaora, District- Ratlam (M.P.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	43/10 (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लेंड)	2.00 hectare.
स्थल	Village- Badaliya Chorasi, Tehsil- Piploda, and District- Ratlam (M.P.).	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रतलाम के पत्र क्रमांक 1321 दिनांक 21/02/18 के द्वारा स्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया रतलाम के पत्र क्रमांक 1616 दिनांक 29/06/ के द्वारा पत्थर–15,105 घनमीटर/वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है ।	
प्रकरण की स्थिति	डिया से सिया ।	

उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर–15,105 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार पत्थर–15,105 घनमीटर/वर्ष है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रतलाम के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 2526 दिनांक 17/10/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 01 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 04.00 हे. होता है, अतः प्रकरण बी–2 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रतलाम के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 2526 दिनांक 17/10/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रतलाम के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 2526 दिनांक 17/10/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत बड़ायला चौरासी जिला रतलाम के ठहराव प्रस्ताव अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
वृक्षों की वर्तमान स्थिति	Tree Felling - No
गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	दक्षिण दिशा– पक्का रोड़ लगभग 440 मी. एवं शेड 267 मी.
	पश्चिम दिशा– पक्का रोड़ लगभग 496 मी
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के चेप्टर–10 पेज नं.–6के सरल क्रमांक–37 पर दर्ज है ।

उपरोक्त खदान को पूर्व में डिया जिला स्तरीय समिति द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसकी शर्तों के पालन प्रतिवेदन एवं अन्य बिन्दुओं के दृष्टिगत पुर्न मूल्यांकन हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया है। समिति द्वारा ई.सी. में अधिरोपित शर्तो की समीक्षा की गई ।

डिया की ई.सी. में अधिरोपित शर्तो की समीक्षा	पालन प्रतिवेदन की वर्तमान स्थिति
लीज के चारों ओर फेन्सिग की वर्तमान स्थिति	अपूर्ण पायी गई।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तो के अनुसार वृक्षारोपण की वर्तमान स्थिति एवं बेरियर जोन में 7.50 मीटर पर वृक्षारोपण	अपूर्ण पायी गई।

गारलेण्ड ड्रेन एवं सेटलिंग टेंक की वर्तमान स्थिति	अपूर्ण पायी गई।
अनुमोदित माईनिंग प्लान के अनुसार खनन किये गये पिट्स में बैंचेस की स्थिति।	अवलोकित नहीं हुई।
पौधारोपण की स्थिति	अपूर्ण पायी गई।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तो के अनुसार सामाजिक कार्य का विवरण भौतिक लक्ष्य, बजट	आंशिक कार्य किये गये। कोई प्रमाणिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर–15105 घनमीटर/वर्ष ।
2. लीज क्षेत्र के उत्तर दिशा में खेत लगे हुये है। अतः 25 मी. का सेट बैक छोड़ते हुए खनन कार्य करना सुनिश्चित करेगें।
3. जिला खनिज अधिकारी प्रत्येक 06 माह में लीज क्षेत्र के भ्रमण के दौरान यह सुनिश्चित करेगें कि प्रतिबंधित क्षेत्र में (गैर खनन क्षेत्र) कोई खनन कार्य नहीं हुआ है। यदि परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रतिबंधित क्षेत्र में (गैर खनन क्षेत्र) खनन कार्य होना पाया जाता हो तो खनिज अधिकारी गौण खनिज अधिनियम 1996 एवं यथासंशोधित नियमों के तहत् वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित करेगा एवं पर्यावरण स्वीकृति के वॉयलेशन की सूचना सिया कार्यालय को प्रस्तुत करेगा।
4. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 05.66 लाख एवं रिक्रिंग राशि रू. 01.62 लाख प्रति वर्ष ।
5. पिट्स में बैंचेस/बेरियर जोन की स्थिति को रि–स्टोर किया जावें।
6. माईन रिस्टोरेशन कार्य माईन प्लान के अनुसार 01 वर्ष में पूर्ण किया जावें तथा खनिज अधिकारी द्वारा इसकी पूर्णता की पुष्टि की जावें तथा सभी शर्तो का पालन न होने की स्थिति में सिक्योरिटी राशि से उक्त कार्य विभागीय स्तर से किया जावें।
7. **डिया द्वारा जारी ई.सी की समस्त शर्तो का एवं उपरोक्तानुसार दर्शायें गये कार्यो को पूर्ण कर विस्तृत पालन प्रतिवेदन खनिज अधिकारी से प्रमाणिकृत करवाकर 03 माह के अंदर सिया के समक्ष प्रस्तुत करेगें।**
8. अन्य शर्तो का पालन प्रतिवेदन नियमानुसार प्रत्येक 06 माह में खनिज अधिकारी से प्रमाणिकृत करवाकर सिया के समक्ष प्रस्तुत करेगें।
9. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.50 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सीईआर मद में प्रस्तावित गतिविधियां	राशि रू. में
ग्राम बड़ायलाचौरासी में स्वास्थ केंद्र एवं स्वास्थ सेवाओं के विकास हेतु रोगी कल्याण मंडल में उल्लेखित राशि भूप्रवेश प्राप्त मिलने के 3 माह के भीतर जमा की जावेगी नजदीकी ग्रामों में जैविक खाद के उत्पादन एवं उपयोग के लाभ समझाने	**30,000/-**

एवं श्रीअन्न योजना के प्रचार हेतु पंचायत एवं कृषि विभाग के माध्यम से प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जावेगा ।	**20,000/-**
Total	50,000

10. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 2400 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियरजोनमें	नीम , खमेर , कालासिरिस, सिस्सू , करंज, चिरोल , सफेदसिरिस, पीपलआदिएवंअन्य स्थानीय प्रजातियाँ।	900
2	परिवहन मार्ग (1.5 मी. से अधिक ऊचाई के पौधें।)	नीम, सिस्सू, चिरोल, कदम्ब, करंज,पाकर, पीपलआदिएवंअन्य स्थानीय प्रजातियाँट्री–गार्ड के साथ	150
3	बड़ायलाचौरासी स्थित शासकीय माध्यमिक शालामें	पुत्रंजीवामोलश्रीसिस्सू, कदम्ब, पीपल, कचनार, नीम, चिरोलआदिएवंअन्य स्थानीयप्रजातियाँ।	50
4	ग्रामीणोंमेंपौधोकावितरण	आंवला, सीताफल, आम, अमरुद, अनार, कटहल , जामुन, हाइब्रिडमुनगाआदिएवंअन्य स्थानीय प्रजातियाँ	1750
उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें खनन अवधि तक उन पौधों का रख–रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन् अवधि तक किया जाये । गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका सरंक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गॉव का नाम, लाभांवित व्यक्ति/कृषक का नाम, मोबाईल नम्बर, खसरा नम्बर एवं प्रजाति का विवरण तथा कितने पौधे वितरित किये गये की संख्या देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे।			

उक्त प्रकरण की समीक्षा की गई तकनीकी दृष्टिकोण से अनुशंसा किये जाने योग्य है, परन्तु उल्लेखनीय है कि डिया प्रकरणों के रिअप्राईजल के संबंध में MOEF &CC के OM दिनांक 15/01/2024 के माध्यम से SOP जारी किया गया है। इस प्रकरण हेतु आवेदन 15 जनवरी के पूर्व का है, अतः प्रकरण की समीक्षा एवं अनुशंसा पूर्व में निर्धारित प्रक्रिया अनुसार की गई है। अतः MOEF&CC के OM दिनांक 15/01/2024 के परिपालन में निर्णय एवं अग्रिम कार्यवाही सिया स्तर से किये जाने का आग्रह है।

11. <u>Case No P-2/43/2024 SHRI ABHINAV SIKARWAR, Q.No.H/7, Block Colony, Pali Road, Ward 08, Sheopur (M.P.) – 476337, Prior Environment Clearance for Karahal</u>

Murum Quarry, Karahal Murum Quarry of 2.00 Hectare Area, Khasra No. 1833/क in Village – Karahal, Tehsil - Karahal, District –Sheopur (M.P.) (Maximum Production & Capacity: Murrum – 10,002 Cubic Meter).

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 15/02/2024 को परियोजना प्रस्तावक Shri Abhinav Sikarwar एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमर सिंह यादव, मेसर्स एसीरिज इंवायरोटेक इंडिया प्रा.लि., नोयडा, (उ.प्र.) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी /संस्थान का नाम व पता	Shri ABHINAV SIKARWAR, Q.No.H/7, Block colony, Pali Road, Ward 08, Sheopur (M.P.). 476337, *Prior Environment Clearance for* Karahal Murum Quarry of 2.00 Hectare, Khasra No. 1833/क in Village – Karahal, Tehsil - Karahal, District – Sheopur (M.P.) (Maximum Production – 10,002 Cubic Meter).
परियोजना का खसरा नं./लीज क्षेत्रफल	खसरा नं.– 1833/क . | एरिया– 2.00 ha., शासकीय भूमि
Description of Project	Karahal Murum Quarry of 2.00 Hectare, Khasra No. 1833/क in Village – Karahal, Tehsil - Karahal, District –Sheopur (M.P.) (Maximum Production – 10,002 Cubic Meter).
परियोजना स्थल	Village – Karahal, Tehsil - Karahal, District –Sheopur (M.P.)
सैंधातिक सहमति	पत्र क्र0. 11032 दिनांक 29/09/2023.
परियोजना की श्रेणी	**बी–2.** New Project.
जल/वायु सम्मति नवीनीकरण	CONSENT WILL BE OBTAINED AFTER EC.
खनन् कार्य ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	लागू नही।
डिया द्वारा जारी ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	लागू नही।
उत्पादन क्षमता	• **मुरूम** – 10,002 cum per year.
एकल प्रमाण–पत्र के अनुसार	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला **श्योरपुर** के एकल प्रमाण–पत्र 13839 दिनांक 24/11/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदानें स्वीकृत नही है, जिनको मिलाकर कुल रकबा 2.00. हे. होता है, अतः प्रकरण बी–2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।
परियोजना के संबंध में डीएफओ की एनओसी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला **श्योरपुर** के एकल प्रमाण–पत्र 13839 दिनांक 24/11/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव

	विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
परियोजना के संबंध राजस्व जानकारी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला **श्योरपुर** के एकल प्रमाण–पत्र 13839 दिनांक 24/11/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, नाला इत्यादि स्थित नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत/ नगर परिषद्	ग्राम पंचायत – कराहल, जिला – **श्योरपुर** का ठहराव प्रस्ताव क्र0. 03 दिनांक 08/06/2023 द्वारा अनापत्ति पत्र जारी किया गया है।
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	Tree existing- 03 Tree Felling - No
प्रस्तावित खदान की गूगल इमेज अनुसार स्थिति (यदि सेटबैक आवश्यक हो)	उत्तर दिशा– .लगभग 220 मी. की दूरी पर कुछ घर है।
	दक्षिण पश्चिम दिशा– नाला लगभग 90 मी.
	पश्चिम दिशा– पक्का रोड़ 285 मी.
	उत्तर पश्चिम दिशा– आबादी लगभग 203 मी.
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला – श्योरपुर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 13839 दिनांक 24/11/2023 द्वारा बताया कि इस खदान का विवरण नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में शामिल किया जावेगा। समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण समाघॉत निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 – जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता मुरूम–**10,002** घनमीटर/वर्ष ।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 14.06 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 03.20 लाख प्रति वर्ष ।
3. अन्य शर्तो का पालन प्रतिवेदन नियमानुसार प्रत्येक 06 माह में खनिज अधिकारी से प्रमाणिकृत करवाकर सिया के समक्ष प्रस्तुत करेगें।
4. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.60 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी.ई.आर मद में **प्रस्तावित गतिविधि**	**राशि (रु. में)**

शासकीय कन्या प्राथमिक विद्यालय कराहल मे फर्निचर (20 नग बेंच व डेस्क) एवं दो अलमारी (राशि 03 माह के अंदर शिक्षक पालक संघ के खातें में जमा कर दी जावेगी।)	60,000

5. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 2400 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

क्रं.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन	सिस्सू, चिरोल, नीम, करंज, जंगल जलेबी, सीताफल, खमेर, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ	1800
2	कराहल ग्राम पंचायत भवन एवं शासकीय स्कूल में	कदम्ब, कचनार, चिरोल, नीम, पीपल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ	200
3	परिवहन मार्ग (1.5 मी. से अधिक ऊचाई के पौधें।)	कदम्ब, कचनार, चिरोल, नीम, पीपल, आम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ ट्री गार्ड के साथ	200
4	ग्रामवासियों मे वितरण हेतु	इमली, आवंला, नीबू, बेल, आम, जामुन, कटहल, मुनगा, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ।	200
उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें खनन अवधि तक उन पौधों का रख–रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन् अवधि तक किया जाये । गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका सरंक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गॉव का नाम, लाभांवित व्यक्ति/कृषक का नाम, मोबाईल नम्बर, खसरा नम्बर एवं प्रजाति का विवरण तथा कितने पौधे वितरित किये गये की संख्या देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे।			

अनुशंसा– प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तो के साथ परियोजना को पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

12. **Case No. P2/16/2024 Shri Dinanath Singh, Chief Executive Officer, M/s URMILADEVI CHANDAN, 121, Infinity Tower, Narayan Dhabholkar Road, Mumbai-400006. Prior Environment Clearance for Tikari, Gauthana And Chiklar Southern Block Graphite Deposit in an area of 33.016 ha. (30019 TPA) (Khasra No. 141, 147, 148/1, 148/2, 148/3, 148/4, 148/5, 148/6, 149, 150, 151, 154, 924, 929, 930/1, 930/2, 931, 932, 933/1, 933/2, 933/3, 938, 939), Village-Gauthana and Tikari, Tehsil-Betul, District-Betul (MP). (TOR)**

प्रस्तावित ग्रेफाइट खदान बी–1 श्रेणी के अंतर्गत डिया द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनर्मूल्यांकन के लिए टॉर का है, जिसमें आज दिनांक 15/02/2024 को परियोजना प्रस्तावक **Shri Dinanath Singh** एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री संजय सिंह, ऑनलाईन एवं सुश्री शिल्पा राठी, F.A.A मेसर्स P and M Solutions, Noida (U.P.) उपस्थित हुए उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना का नाम व पता	Shri Dinanath Singh, Chief Executive Officer, M/s URMILADEVI CHANDAN, 121, Infinity Tower, Narayan Dhabholkar Road, Mumbai-400006	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	141, 147, 148/1, 148/2, 148/3, 148/4, 148/5, 148/6, 149, 150, 151, 154, 924, 929, 930/1, 930/2, 931, 932, 933/1, 933/2, 933/3, 938, 939 (सरकारी/निजी –फॉरेस्ट लेंड/नॉन फॉरेस्ट लेंड) फॉरेस्ट क्लियरेंस हेतु आवेदन किया गया है ।	33.016 hectare.
स्थल	Village – Gauthana and Tikari, Tehsil – Betul, District – Betul (M.P.)	
लीज स्वीकृति	भारत सरकार, खनिज साधन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र क्रमांक एफ–3–31/18/12–1 दिनांक 20/06/18 के द्वारा स्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।	
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अधिकतम् उत्पादन क्षमता ग्रेफाईट–30,019 टीपीए हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता ग्रेफाईट–30,019 टीपीए है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बैतूल के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1915 दिनांक 08/12/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी–1 श्रेणी का है।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बैतूल के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1915 दिनांक 08/12/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है । उक्त स्वीकृत ब्लॉक क्षेत्र 33.016 हे. में से रकबा 15.997 हे0 वन भूमि है । शेष भूमि राजस्त भूमि है, संभागीय आयुक्त की समिति से अनुमति अप्राप्त है	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बैतूल के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1915 दिनांक 08/12/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि कच्चा रास्ता, नाला बालाब, मानव बसाहट/शैक्षणिक संस्था/रेल्वे	

	लाईन/शमशान घाट एवं हाईटेंशन लाईन के दो पोल लीज क्षेत्र के भीतर स्थित है, शेष अन्य 500 मीटर की परिधि में नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत मरामझिरी जिला बैतूल के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक–9. दिनांक 02/12/23 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत द्वारा अनुमति प्रदान की गई है।
वृक्षों की वर्तमान स्थिति	Tree existing - Yes
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	प्रस्तावित खनिज मुख्य खनिज है, अतः जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट लागू नहीं है ।

समिति ने प्रकरण के परीक्षण के दौरान पाया कि संबंधित खदान की श्री राशिद नूर खान, भोपाल द्वारा अध्यक्ष/सदस्य सचिव को अपने पत्र द्वारा शिकायत प्रेषित की है, जिसमें निम्न बिन्दुओं का उल्लेख किया है :–

- कि मेसर्स उर्मिला दिलीप चंदन को मिले ब्लॉक से संबंधित वैधानिक कार्यवाही पूरी की जाकर उत्पादन को प्रारंभ किये जाने की अनुबंध के अनुसार निर्धारित समय सीमा समाप्त हो चुकी है। मध्यप्रदेश सरकार खनिज साधन विभाग द्वारा समय सीमा वृद्धि मान्य किये जाने का आदेश कम्पनी को नहीं दिया है।
- कंपनी ने ब्लॉक में आने वाली भूस्वामी हक की निजी भूमि के अर्जन से बार बार इनकार कर कलेक्टर बैतूल के समकक्ष प्रस्तुत भूअर्जन के प्रस्ताव स्वयं ही वापस ले लिया है।
- ब्लॉक बैतूल नगर पालिका की बाहरी सीमा में लगा हुआ है ग्राम टिकारी का अधिकांश हिस्सा बैतूल नगर पालिका की सीमा में लेकिन इसके बाद भी नगर पालिका परिषद बैतूल से किसी तरह की अनापत्ति प्राप्त नहीं की।
- ग्राम पंचायत के द्वारा दिया गया प्रस्ताव में काटा पिटी की गयी है जिसकी पुष्टि ग्राम सभा की बैठक में उपस्थित बताए गए सदस्यों से पृथक पृथक की जाना आवश्यक है।
- ब्लॉक में आने वाली वन भूमि में मेसर्स उर्मिला दिलीप चंदन को आवंटित नहीं की गई है, वन भूमि के बदल वैकल्पिक वन भूमि का भी विवाद है वह भी वन विभाग को आवंटित नहीं हुई है।

उपरोक्त शिकायत के संबंध में समिति ने निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक शिकायतकर्ता द्वारा उठाये गये बिन्दुओं को स्पष्ट करते हुए अभिलेखो के साथ ईआईए रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करेंगें । समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर–डी में उल्लेखित मानक शर्तो व विशिष्ट शर्तो के साथ टी.ओ.आर. जारी करने की समिति अनुशंसा करती है :–

1. संबंधित खदान की श्री राशिद नूर खान, भोपाल द्वारा अध्यक्ष एवं सदस्य सचिव (सेक) को अपने पत्र द्वारा शिकायत प्रेषित की है, अतः उपरोक्त बिन्दुओं को स्पष्ट करते हुए अभिलेखो के साथ ईआईए रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
2. एकल प्रमाण पत्र अनुसार उक्त स्वीकृत ब्लॉक क्षेत्र 33.016 हे. में से रकबा 15.997 हे0 वन भूमि है। शेष भूमि राजस्व भूमि है, संभागीय आयुक्त की समिति से अनुमति अप्राप्त है, अतः ईआईए रिपोर्ट के साथ संभागीय आयुक्त की अनुमति प्रस्तुत करे ।
3. आवेदित खसरों में से कुछ खसरें निजी है, जिनके भू–स्वामियों की सहमति अपलोड नहीं है, अतः ईआईए रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करे ।
4. म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 247 (5) के तहत संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा भूमि स्वामियों की क्षतिपूर्ति के निर्धारण हेतु किये गये प्रावधानों/उपबंधों का पालन भूमि स्वामियो को समक्ष में सुनकर भूमि के सतह अधिकार के संबंध में क्षतिपूर्ति का निर्धारण सुनिश्चित किया जाये।
5. म.प्र. गौण खनिज नियम, 1996 के नियम 9 (क) एवं नियम,06(क) के प्रावधान अंतर्गत कण्डिका 04 में किये गये प्रावधानों के अनुरूप सहमति धारक को उत्खनन पट्टा स्वीकृत होने पर, देय रॉयल्टी के 15 प्रतिशत के समतुल्य रकम का सहमति धारक को भुगतान सुनिश्चित किया जाये। उपरोक्त शर्तो का पालन भू–प्रवेश अनुमति के पूर्व सुनिश्चित किया जावें।
6. परियोजना प्रस्तावक ने फॉरेस्ट क्लियरेंस हेतु भारत सरकार के समक्ष आवेदन किया गया है, अतः ईआईए रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
7. खदान क्षेत्र में कुल 23 खसरे आ रहे है, अतः खसरावार तालिका (निजी एवं शासकीय) खनन क्षेत्र दर्शाते हुए ईआईए रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
8. खदान के पास में 180 मी. पर स्थित रेल्वे ट्रैक के संबंध में डीजीएमएस के विधिवत् अनुमति प्राप्त कर ईआईए रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
9. खदान क्षेत्र में से एक रोड़ जा रही है अतः ग्राम सभा से उक्त रोड़ के विषय में एक अनापत्ति प्राप्त करेगें।
10. दक्षिण पश्चिम दिशा में कुछ शेड है एवं वाटर बॉडी है, अतः इनके संरक्षण की योजना ईआईए रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
11. प्रश्नाधीन खदान में कुछ पेड़ लगे दिख रहे है, अतः खसरावार उसकी प्रजाति, ऊचाई एवं गर्थ के फोटोग्राफ सहित ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
12. इको सिस्टम सर्विसेज एवं वाईल्ड लाईफ कन्जर्वेशन प्लान ईआईए रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
13. ओवर बर्डन प्रबंधन योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
14. प्रश्नाधीन खदान के 500 मी. की परिधि में स्थित संवेदनशील घटकों(जैसे प्राकृतिक नाला, नदी, नहर, आबादी कच्ची एवं पक्की सडक, पुरातत्व महत्व के स्थल इत्यादि) की खदान से दूरी दर्शातें हुये एवं स्थानवार मापदण्ड छोडते हुये सरफेस मेप को ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
15. कलस्टर मैनेजमेन्ट प्लान।
16. यदि प्रकरण पेसा ग्राम में स्थित है तो पेसा ;चै-।द्ध ग्राम सभा का प्रस्ताव।
17. ई.आई.ए. अध्ययन के दौरान क्षेत्र में 04 से 05 स्थानों (जिसमें से एक स्थान आवंटित खनन् क्षेत्र के बैरियर जोन में हो) पर 01 मीटर X 01 मीटर X 01 मीटर का ट्राईल पिट खोद कर उसके

स्वाईल प्रोफाइल का अध्ययन कर वृक्षारोपण का स्थान, प्रजाति एवं रोपण योजना का विवरण ई. आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।

18. यदि भू–जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजीकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करें ।
19. रेनवॉटर हार्वेस्टिंग हेतु किसी विशेषज्ञ द्वारा एक्यूफर, परकोलेशन टेंक, रिर्चाज शॉफ्ट एवं सब सरफेस डायक का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
20. ओव्हर बर्डन एवं टॉपस्वाइल मैनेजमेंट प्लॉन, ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।
21. परियोजना प्रस्तावक ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करे जिसमें इस खदान का विवरण दर्ज हो ।
22. खदान क्षेत्र से यदि खेत लगे हुये हो तो 25 मी. का सेटबेक दर्शातें हुये सरफेस मेप प्रस्तुत करें।
23- सी.ई.आर. योजना के अंतर्गत श्री–अन्न एवं जैविक खाद निर्माण, उत्पादन, उपयोग, मार्केटिंग, प्रोत्साहन आदि प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रत्येक 6–6 माह में कृषि विज्ञान केन्द्र के माध्यम से ग्राम में करने का प्रस्ताव बजट सहित प्रस्तुत करे।
24- स्थानीय स्तर पर कार्बन के दूष्प्रभाव को रोकने के लिये एक व्यवसायिक व्यवस्था के अंतगर्त 500 मीटर से 1.0 किलोमीटर के अंदर किसानो द्वारा लगाये गये बडे पेडो को चिन्हित कर इनके द्वारा अवशोषित कार्वन डाइआक्साइड के एवज् में किसानो को भुगतान किया जावेगा, कार्बन फुटप्रिन्ट हेतु किसानों को देय राशि ई.एम.पी. में शामिल किया जाये।
25- खसरा वार वृक्षों की इनवेन्ट्री एवं इनकी संरक्षण योजना काटे जाने वाले वृक्षों सहित जानकारी प्रस्तुत करें।

13. <u>Case No P-2/44/2024 Shri Keshav Singh , Khalipa Colony, Thatipur, Gwalior (M.P). Prior Environment Clearance for Damejar Stone Quarry, Capacity : 10,260 cubic meter per year Gitti having a lease area of 3.22 Ha., at Khasra No. - 468 Village - Damejar, Tehsil - Kolarus, District - Morena (M.P.).</u>

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 15/02/2024 को परियोजना प्रस्तावक Shri Keshav Singh, Owner एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार Shri Ashish Tripathi, online Director of AGS Environmental Services Pvt. Ltd. Delhi. उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी /संस्थान का नाम व पता	Shri Keshav Singh , Khalipa Colony, Thatipur, Gwalior (M.P). Prior Environment Clearance for Damejar Stone Quarry, Capacity : 10,260 cubic meter per year Gitti having a lease area of 3.22 Ha., at Khasra No. - 468 Village - Damejar, Tehsil - Kolarus, District - Morena (M.P.).

परियोजना का खसरा नं./लीज क्षेत्रफल	खसरा नं.– 468,	एरिया– 3.22 ha., शासकीय भूमि
परियोजना स्थल	Village - Damejar, Tehsil - Kolarus, District - Morena (M.P.).	
सैंधातिक सहमति	पत्र क्र0. 872 दिनांक 14/07/2021.	
परियोजना की श्रेणी	**बी–2.**	
खनन् कार्य ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	• BROAD BLASTING & DRILLING PARAMETERS (As per Parivesh Portal up-loaded information).	
डिया द्वारा जारी ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	**लागू नहीं।**	
उत्पादन क्षमता	• **स्टोन (गिट्टी) – 10,260 घनमीटर/वर्ष** ।	
परियोजना के 500 मीटर की परिधि में संचालित /स्वीकृत अन्य खदानों का विवरण।	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला भिण्ड के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1101 दिनांक 11/12/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान स्वीकृत नही है, जिनको मिलाकर कुल रकबा 03.22 हे. होता है, अतः प्रकरण बी–2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।	
परियोजना के संबंध में डीएफओ की एनओसी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला भिण्ड के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1101 दिनांक 11/12/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।	
परियोजना के संबंध राजस्व जानकारी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला भिण्ड के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1101 दिनांक 11/12/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, नाला इत्यादि स्थित नहीं है।	
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत/ नगर परिषद्	ग्राम पंचायत – डमेजर, जिला – भिण्ड का ठहराव प्रस्ताव क्र0. 01 दिनांक 02/10/2017 द्वारा अनापत्ति पत्र जारी किया गया है।	
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	Tree existing- 02 in the barrier zone Tree Felling - No	
प्रस्तावित खदान की गूगल इमेज अनुसार स्थिति (यदि सेटबैक आवश्यक हो)	**उत्तर दिशा–** . नहर लगभग 350 मीटर	
	दक्षिण दिशा– कच्ची रोड लगभग 235 मीटर	
	पूर्व दिशा– कच्ची रोड लगभग 20 मीटर परियोजना प्रस्ताव 30 मीटर का सेट बैक प्रस्तावित किया है एवं आबादी लगभग 267 मीटर	
जल/वायु सम्मति वैद्यता	**लागू नहीं।**	
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.– 29 के	

	सरल क्रमांक – 79 पर दर्ज है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर–10,260 घनमीटर/वर्ष ।
2. जिला खनिज अधिकारी प्रत्येक 06 माह में लीज क्षेत्र के भ्रमण के दौरान यह सुनिश्चित करेगें कि प्रतिबंधित क्षेत्र में (गैर खनन क्षेत्र) कोई खनन कार्य नहीं हुआ है। यदि परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रतिबंधित क्षेत्र में (गैर खनन क्षेत्र) खनन कार्य होना पाया जाता हो तो खनिज अधिकारी गौण खनिज अधिनियम 1996 एवं यथासंशोधित नियमों के तहत् वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित करेगा एवं पर्यावरण स्वीकृति के वॉयलेशन की सूचना सिया कार्यालय को प्रस्तुत करेगा।
3. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 12.40 लाख एवं रिक्रिंग राशि रू. 01.38 लाख प्रति वर्ष ।
4. अन्य शर्तो का पालन प्रतिवेदन नियमानुसार प्रत्येक 06 माह में खनिज अधिकारी से प्रमाणिकृत करवाकर सिया के समक्ष प्रस्तुत करेगें।
5. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.80 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी.ई.आर मद में **प्रस्तावित गतिविधि**	**राशि (रु. में)**
सी.ई.आर मद से 70,000 की राशी पालक शिक्षक संघ समिति ग्राम डमेजर के शासकीय प्राथमिक शाला के खाते में शाला विकास कार्य हेतु जमा की जावेगी।	**70,000/-**
जैविक खाद के साथ श्री अन्न निर्माण, उत्पादन, उपयोग, मार्केटिंग एवं प्रोत्साहन प्रशिक्षण 6 माह में कृषि विज्ञान केंद्र में काराया जाएगा।	**10,000/-**

6. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 3900 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

क्रं.	**वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान**	**पौधों की प्रजातियॉ**	**मात्रा (संख्या में)**
1	**बैरियर जोन मे वृक्षारोपण** (पूर्ण सुरक्षा सहित)	**चिरोल, नीम, जंगल जलेबी, करंज, अमलताश एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां**	**1000**
2	**ग्रामवासियों में वितरण हेतु**	**सीताफल, आवलाँ,अमरुद, मुनगा, पपीता ,निम्बू, आम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां**	**2400**

3	परिवहन मार्ग के दोनों तरफ पेड़ों की) (मीटर 1.5 न्यूतम ऊंचाई	करंज, कदम , चिरोल, जंगल जलेबी , अमलताश, गुलमोहर एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां With tree gaurd	500
उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें खनन अवधि तक उन पौधों का रख–रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन् अवधि तक किया जाये । गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका सरंक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गॉव का नाम, लाभांवित व्यक्ति/कृषक का नाम, मोबाईल नम्बर, खसरा नम्बर एवं प्रजाति का विवरण तथा कितने पौधे वितरित किये गये की संख्या देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे।			

अनुशंसा– प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तो के साथ परियोजना को पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

14.

Case No. P2/13/2024 Shri SURESH SHIVHARE, R/o- Navab Sahab Road Chandra Colony, Shivpuri, District- Shivpuri (M.P)473551. Prior Environment Clearance for Murrum Quarry in an area of 4.00 ha. (40013 cum per year) (Khasra No. 1960), Village-Tongara, Tehsil-Shivpuri, District- Shivpuri (MP). ToR

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 15/12/2024 को परियोजना प्रस्तावक Shri Suresh Shivhare, Owner एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री रामराघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आई.एन.सी., वडोदरा (गुजरात) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी /संस्थान का नाम व पता	**Shri SURESH SHIVHARE, R/o- Navab Sahab Road Chandra Colony, Shivpuri, District- Shivpuri (M.P)473551.** *Prior Environment Clearance for Murrum Quarry with a production capacity of 40,013 m3/year Murrum having a lease area of 4.00 hectare, at Khasra No. - 1960 (Govt. land) Village - Tongara, Tehsil- Shivpuri, District- Shivpuri (M.P.)*	
परियोजना का खसरा नं./लीज क्षेत्रफल	खसरा नं.– 1960.	एरिया– 2.00 ha., शासकीय भूमि
परियोजना स्थल	Village - Tongara, Tehsil- Shivpuri, District- Shivpuri (M.P.)	
सैंधातिक सहमति	पत्र क्र0. 13268 दिनांक 05/10/2023.	
परियोजना की श्रेणी	**बी–1.** New Project.	
जल/वायु सम्मति नवीनीकरण	-	
खनन् कार्य ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	लागू नही।	
डिया द्वारा जारी ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	लागू नही।	

उत्पादन क्षमता	• मुरूम – 40013 cum per year.
I	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शिवुपुरी के एकल प्रमाण–पत्र 1446 दिनांक 07/12/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 02 खदानें स्वीकृत है, जिनको मिलाकर कुल रकबा 9.5. हे. होता है, अतः प्रकरण बी–1 श्रेणी के अंतर्गत आता है।
परियोजना के संबंध में डीएफओ की एनओसी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शिवुपुरी के एकल प्रमाण–पत्र 1446 दिनांक 07/12/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
परियोजना के संबंध राजस्व जानकारी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शिवुपुरी के एकल प्रमाण–पत्र 1446 दिनांक 07/12/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, नाला इत्यादि स्थित नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत/ नगर परिषद्	ग्राम पंचायत – टोंगरा, जिला – शिवुपुरी का ठहराव प्रस्ताव क्र0. 02 दिनांक 02/10/2021 द्वारा अनापत्ति पत्र जारी किया गया है।
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	Tree existed - Yes
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शिवुपुरी के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1447 दिनांक 07/12/2023 द्वारा बताया कि इस खदान का विवरण नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में शामिल किया जावेगा।

उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर–डी में उल्लेखित मानक शर्तो व विशिष्ट शर्तो के साथ टी.ओ.आर. जारी करने की समिति अनुशंसा करती है :–

1. प्रश्नाधीन खदान में कुछ पेड़ लगे दिख रहे है, अतः सम्पूर्ण (ट्री इनवेन्ट्री प्रजाति, ऊचाई एवं गर्थ के फोटोग्राफ सहित) ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
2. प्रश्नाधीन खदान के 500 मी. की परिधि में स्थित संवेदनशील घटकों(जैसे प्राकृतिक नाला, नदी, नहर, आबादी कच्ची एवं पक्की सडक, पुरातत्व महत्व के स्थल इत्यादि) की खदान से दूरी दर्शातें हुये एवं स्थानवार मापदण्ड छोडते हुये सरफेस मेप को ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
3. यदि प्रकरण पेसा ;च्ै।द्ध ग्राम में स्थित है तो पेसा ;च्ै।द्ध ग्राम सभा का प्रस्ताव।
4. ई.आई.ए. अध्ययन के दौरान क्षेत्र में 04 से 05 स्थानों (जिसमें से एक स्थान आवंटित खनन् क्षेत्र के बैरियर जोन में हो) पर 01 मीटर X 01 मीटर X 01 मीटर का ट्राईल पिट खोद कर उसके स्वाईल प्रोफाइल का अध्ययन कर वृक्षारोपण का स्थान, प्रजाति एवं रोपण योजना का विवरण ई. आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।

5. यदि भू–जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजीकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करें ।
6. रेनवॉटर हार्वेस्टिंग हेतु किसी विशेषज्ञ द्वारा एक्यूफर, परकोलेशन टेंक, रिर्चाज शॉफ्ट एवं सब सरफेस डायक का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
7. ओव्हर बर्डन एवं टॉपस्वाइल मैनेजमेंट प्लॉन, ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।
8. परियोजना प्रस्तावक ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करे जिसमें इस खदान का विवरण दर्ज हो ।
9. खदान क्षेत्र से यदि खेत लगे हुये हो तो 25 मी. का सेटबेक दर्शातें हुये सरफेस मेप प्रस्तुत करें।
10. सी.ई.आर. योजना के अंतर्गत श्री–अन्न एवं जैविक खाद निर्माण, उत्पादन, उपयोग, मार्केटिंग, प्रोत्साहन आदि प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रत्येक 6–6 माह में कृषि विज्ञान केन्द्र के माध्यम से ग्राम में करने का प्रस्ताव बजट सहित प्रस्तुत करे।
11- स्थानीय स्तर पर कार्बन के दूष्प्रभाव को रोकने के लिये एक व्यवसायिक व्यवस्था के अंतगर्त 500 मीटर से 1.0 किलोमीटर के अंदर किसानो द्वारा लगाये गये बढे पेडो को चिन्हित कर इनके द्वारा अवशोषित कार्वन डाइआक्साइड के एवज् में किसानो को भुगतान किया जावेगा, कार्बन फुटप्रिन्ट हेतु किसानों को देय राशि ई.एम.पी. में शामिल किया जाये।
12- कार्बन फुटप्रिन्ट का आंकलन तथा उपाय।

15. <u>Case No. P2/17/2024 Robin Agrawal, Proprietor, 7/26, Civil Lines Mandla (M.P.). Prior Environment Clearance for Bhatiyatola Dolomite Mining Project in an area of 2.2 ha. (49]965 MTPA) (Khasra No. 95), Village: Bhatiyatola Tehsil- Nainpur, District-Mandla (M.P.) (TOR)</u>

प्रकरण आज सेक की 722वीं बैठक दिनांक 15/02/24 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था, जिसमें परियोजना प्रस्तावक / उनके पर्यावरणीय सलाहकार समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए । समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक से प्रस्तुतीकरण हेतु अनुरोध प्राप्त होने के पश्चात प्रकरण की समीक्षा हेतु विचार किया जा सकेगा ।

16. **<u>Case No. P2/18/2024 Robin Agrawal, Proprietor, 7/26, Civil Lines Mandla (M.P.) Prior Environment Clearance for Bhatiyatola Dolomite Mining Project in an area of 0.87 ha. (10000 MTPA) (Khasra No. 89/1), Village-Gauthana and Tikari, Tehsil-Betul, District-Betul (MP) [DEIAA] (TOR)</u>**

प्रकरण आज सेक की 722वीं बैठक दिनांक 15/02/24 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था, जिसमें परियोजना प्रस्तावक / उनके पर्यावरणीय सलाहकार समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए । समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक से प्रस्तुतीकरण हेतु अनुरोध प्राप्त होने के पश्चात प्रकरण की समीक्षा हेतु विचार किया जा सकेगा ।

17. Case No. P2/05/2023 Shri ARTI JAISWAL, Owner, Subhas Ward No.8, Bhainsdehi Tehsil - Bhainsdehi District - Betul (MP) Prior Environment Clearance for Khapa Stone Quarry in an area of 1.00 ha. (4604 cum per year) (Khasra No. 63/5), Village-Khapa, Tehsil-Bhainsdehi, District-Betul (MP) [DEIAA].

प्रस्तावित **Stone** खदान बी–2 श्रेणी के अंतर्गत डिया द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनर्मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 15/02/24 को परियोजना प्रस्तावक **Shri ARTI JAISWAL, Owner online** एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री अंकुर शर्मा, मेसर्स Cognizance Research India Pvt. Ltd. Noida, Uttar Pradesh उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना का नाम व पता	Shri ARTI JAISWAL, Owner, Subhas Ward No.8, Bhainsdehi Tehsil - Bhainsdehi District - Betul (MP)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	63/5 (निजी परियोजना प्रस्तावक स्वयं की–नॉन फॉरेस्ट लेंड)	1.00 hectare.
स्थल	ग्राम Khapa तसहील Bhainsdehi जिला Betul (म.प्र.)	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बैतूल के पत्र क्रमांक 520 दिनांक 23/03/18 के द्वारा स्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया बैतूल के पत्र क्रमांक 141 दिनांक 14/11/17 के द्वारा पत्थर–4,604 घनमीटर/वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है ।	
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट / डिया से सिया/क्षमता विस्तार ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर–4,604 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार पत्थर–4,604 घनमीटर/वर्ष है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बैतूल के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 331 दिनांक 21/02/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी–2. श्रेणी का है।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बैतूल के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 331 दिनांक 21/02/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बैतूल के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 331 दिनांक 21/02/23 अनुसार 100 मीटर की दूरी पर पक्कें रास्ते स्थित है, शेष अन्य 500 मीटर की परिधि में नहीं है ।	
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत चोपनीखुर्द जिला बैतूल के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक–10 दिनांक 02/10/16 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।	

वृक्षों की वर्तमान स्थिति	Tree existed -No
गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	उत्तर दिशा– कच्ची रोड लगभग 130 मीटर
	पश्चिम दिशा– पक्का रोड लगभग 535 मीटर
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.–30 के सरल क्रमांक–75 पर दर्ज है ।

उपरोक्त खदान को पूर्व में डिया जिला स्तरीय समिति द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसकी शर्तों के पालन प्रतिवेदन एवं अन्य बिन्दुओं के दृष्टिगत पुर्न मूल्यांकन हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया है। समिति द्वारा ई.सी. में अधिरोपित शर्तो की समीक्षा की गई ।

डिया की ई.सी. में अधिरोपित शर्तो की समीक्षा	**पालन प्रतिवेदन की वर्तमान स्थिति**
लीज के चारों ओर फेन्सिग की वर्तमान स्थिति	अपूर्ण पायी गई। बेरियर जोन खुदा हुआ है
ई.सी. में अधिरोपित शर्तो के अनुसार वृक्षारोपण की वर्तमान स्थिति एवं बेरियर जोन में 7.50 मीटर पर वृक्षारोपण	अपूर्ण पायी गई।
गारलेण्ड ड्रेन एवं सेटलिंग टेंक की वर्तमान स्थिति	पूर्ण पायी गई।
अनुमोदित माईनिंग प्लान के अनुसार खनन किये गये पिट्स में बैंचेस की स्थिति।	अवलोकित नहीं हुई।
पौधारोपण की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया कि खदान क्षेत्र में लगभग 100 पेड़ लगाये गये एवं 300 पेड़ बांटे गये।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तो के अनुसार सामाजिक कार्य का विवरण भौतिक लक्ष्य, बजट	प्रमाणिक साक्ष्य प्रस्तुत किये।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर–4604 घनमीटर/वर्ष ।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 09.97 लाख एवं रिक्रिंग राशि रू. 02.04 लाख प्रति वर्ष ।
3. पिट्स में बैंचेस/बेरियर जोन की स्थिति को रि–स्टोर किया जावें।
4. लीज क्षेत्र के उत्तर– पश्चिम दिशा में खेत लगे हुये है। अतः 25 मी. का सेड बैक छोड़ते हुए खनन कार्य करना सुनिश्चित करेगें।
5. परियोजना प्रस्तावक के अनुसार लीज क्षेत्र में क्रेशर प्लान्ट प्रस्तावित नही है, अतः लीज क्षेत्र में क्रेशर प्लान्ट स्थापित करने की अनुमति नही दी जा सकेगी।

6. खनन क्षेत्र से बाहर प्रस्तावित माईन आधारित क्रेशर प्लान्ट हेतु म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नियमानुसार स्थापना एवं संचालन सम्मति प्राप्त करना होगी।
7. जिला खनिज अधिकारी प्रत्येक 06 माह में लीज क्षेत्र के भ्रमण के दौरान यह सुनिश्चित करेगें कि प्रतिबंधित क्षेत्र में (गैर खनन क्षेत्र) कोई खनन कार्य नहीं हुआ है। यदि परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रतिबंधित क्षेत्र में (गैर खनन क्षेत्र) खनन कार्य होना पाया जाता हो तो खनिज अधिकारी गौण खनिज अधिनियम 1996 एवं यथासंशोधित नियमों के तहत् वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित करेगा एवं पर्यावरण स्वीकृति के वॉयलेशन की सूचना सिया कार्यालय को प्रस्तुत करेगा।
8. माईन रिस्टोरेशन कार्य माईन प्लान के अनुसार 01 वर्ष में पूर्ण किया जावें तथा खनिज अधिकारी द्वारा इसकी पूर्णता की पुष्टि की जावें तथा सभी शर्तो का पालन न होने की स्थिति में सिक्योरिटी राशि से उक्त कार्य विभागीय स्तर से किया जावें।
9. **डिया द्वारा जारी ई.सी की समस्त शर्तो का एवं उपरोक्तानुसार दर्शायें गये कार्यो को पूर्ण कर विस्तृत पालन प्रतिवेदन खनिज अधिकारी से प्रमाणिकृत करवाकर 03 माह के अंदर सिया के समक्ष प्रस्तुत करेगें।**
10. अन्य शर्तो का पालन प्रतिवेदन नियमानुसार प्रत्येक 06 माह में खनिज अधिकारी से प्रमाणिकृत करवाकर सिया के समक्ष प्रस्तुत करेगें।
11. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.50 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी.ई.आर मद में प्रस्तावित गतिविधियां	**राशि (रु. में)**
राक्सी माध्यमिक शाला में बच्चो के वैठक व्यवस्था के लिए बेंच	40,000
कार्बन ट्रेडिंग के उद्देश्य को पूर्ण करने हेतु आसपास के पेड़ो को सुरक्षित रखकर राशि प्रदान करना।	10,000

12. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 1200 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन	नीम,सिस्सू, करंज,चिरोल,सीताफल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ।	600
2	स्वयं की भूमि ख न पर 5/63	आम, जामुन, आँवला, मुनगा, सीताफल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ।	300
3	गाँव में वितरण	आम, जामुन, सीताफल आदि	300
उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें खनन अवधि तक उन पौधों का रख–रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन् अवधि तक किया जाये । गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका सरंक्षण			

किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गॉव का नाम, लाभांवित व्यक्ति/कृषक का नाम, मोबाईल नम्बर, खसरा नम्बर एवं प्रजाति का विवरण तथा कितने पौधे वितरित किये गये की संख्या देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे।

उक्त प्रकरण की समीक्षा की गई तकनीकी दृष्टिकोण से टॉर के लिये अनुशंसा किये जाने योग्य है, परन्तु उल्लेखनीय है कि डिया प्रकरणों के रिअप्राईजल के संबंध में MOEF &CC के OM दिनांक 15/01/2024 के माध्यम से SOP जारी किया गया है। इस प्रकरण हेतु आवेदन 15 जनवरी के पूर्व का है, अतः प्रकरण की समीक्षा एवं अनुशंसा पूर्व में निर्धारित प्रक्रिया अनुसार की गई है। अतः MOEF&CC के OM दिनांक 15/01/2024 अधीन के परिपालन में अग्रिम कार्यवाही सिया स्तर से किये जाने का आग्रह है।

18. Case No. P2/06/2023 Shri ASRAR MADNI, Owner, Ward no.- 03, baihar road, Balaghat, Balaghat, Madhya Pradesh- 481001 Prior Environment Clearance for KAYDI STONE QUARRY in an area of 0.567 ha. (2228 cum per year) (Khasra No. 145/3), Village- Kaydi, Tehsil-Waraseoni, District-Balaghat (MP) [DEIAA]

प्रकरण आज सेक की 722वीं बैठक दिनांक 15/02/24 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था, जिसमें परियोजना प्रस्तावक / उनके पर्यावरणीय सलाहकार समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए । समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक से प्रस्तुतीकरण हेतु अनुरोध प्राप्त होने के पश्चात प्रकरण की समीक्षा हेतु विचार किया जा सकेगा ।

19. Case No. P2/07/2023 Shri PAWAN Thakur, R/o-Gram-Chifkhodara, Tehsil- Pitamur, District- Dhar, M.P. Prior Environment Clearance for Matmur STONE QUARRY in an area of 1.00 ha. (Stone 5000 cum per year & OB-1933) (Khasra No. 7/1), Village- Matmur, Tehsil-Maheshwar, District-Khargone (MP) .

प्रस्तावित **STONE** खदान बी–2 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जिसमें आज दिनांक 15/02/22024 को परियोजना प्रस्तावक श्री पवन ठाकुर एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री राम राघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आईएनसी, बडौदा, गुजरात उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना का नाम व पता	Shri PAWAN Thakur, R/o-Gram-Chifkhodara, Tehsil- Pitamur, District- Dhar, M.P	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	7/1 (निजी –नॉन फॉरेस्ट लेंड परियोजना प्रस्तावक स्वयं की)	1.0 hectare.

स्थल	Village Matmur Tehsil Maheshwar , District- Khargone (M.P.).
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला खरगोन के पत्र क्रमांक 1013 दिनांक 18/8/23 के द्वारा स्वीकृत ।
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर – 5,000 घनमीटर/वर्ष एवं ओव्हरवर्डन – 1933 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार पत्थर – 5,000 घनमीटर/वर्ष है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला खरगोर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1718 दिनांक 11/12/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत नही है, अतः प्रकरण बी–2 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला खरगोर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1718 दिनांक 11/12/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला खरगोन के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1718 दिनांक 11/12/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत मातमूर जिला खरगोर के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 02 दिनांक 17/4/23 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
वृक्षों की वर्तमान स्थिति	Tree Existing – 02 Tree felling- 02 Additional tree to be planted -20
गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	उत्तर दिशा– कच्ची रोड लगभग 131 मीटर एवं परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया की लगभग 34 मीटर की दूरी पर हालेज रोड है
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला आगर मालवा के पत्र क्रमांक 1711 दिनांक 11/12/23 अनुसार उक्त खदान नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में सम्मिलित कर ली जावेगी । समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण समाघॉत निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक

	29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 – जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर – 5,000 घनमीटर/वर्ष एवं ओव्हरवर्डन – 1933 घनमीटर/वर्ष ।
2. लीज क्षेत्र खेत से लगे हुये है। अतः 25 मी. का सेड बैक छोड़ते हुए खनन कार्य करना सुनिश्चित करेगें।
3. खनन क्षेत्र में प्रस्तावित माईन आधारित क्रेशर प्लान्ट हेतु म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नियमानुसार स्थापना एवं संचालन सम्मति प्राप्त करना होगी।
4. म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित क्रेशर प्लान्ट में वायु प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना सुनिश्चित की जावेगी।
5. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 08.61 लाख एवं रिक्रिंग राशि रू. 01.85 लाख प्रति वर्ष ।
6. अन्य शर्तो का पालन प्रतिवेदन नियमानुसार प्रत्येक 06 माह में खनिज अधिकारी से प्रमाणिकृत करवाकर सिया के समक्ष प्रस्तुत करेगें।
7. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.60 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी.ई.आर मद में **प्रस्तावित गतिविधि**	**राशि (रु. में)**
ग्राम मटमूर ग्राम पालक शिक्षा संघमें शासकीय विद्यालय विकास हेतु उल्लेखित राशिभू प्रवेश के 3 माह के अंदर प्रदान की जावेगी ।	40,000/-
नजदीकी ग्रामों में जैविक खाद के उत्पादन एवं उपयोग के लाभ समझाने एवं श्रीअन्न योजना के प्रचार हेतु पंचायत एवं कृषि विभाग के माध्यम से प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जावेगा ।	20,000/-
Total	46,000/-

8. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 1220 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

क्रं.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)

1	बैरियरजोनमें	आवलाँ, कटहल, जामुन, आम , जामफल, जंगल जलेबी, आदिएवंअन्य स्थानीय प्रजातियाँ।	470
2	परिवहन मार्ग (1.5 मी. से अधिक ऊचाई के पौधें।)	करंज, पीपल, नीम, बरगद, पुतरंजीवा, कदम्बइत्यादिएवंअन्य स्थानीय प्रजातियाँट्री–गार्ड के साथ	100
3	ग्राम शासकीय हाईस्कूल मटमूर के खेल मैदान में उपलब्ध क्षेत्र में वृक्षारोपण (पूर्ण सुरक्षा सहित)	पुत्रंजीवा, मोलश्री,सिस्सू, बरगद, कचनार, नीम आदि एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ।	70
4	ग्रामीणोंमेंपौधोकावितरण	संतरा, आमला, नींबू, सीताफल, आम, अनार, मुनगा, कटहलआदिएवंअन्य स्थानीय प्रजातियाँ	580
उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें खनन अवधि तक उन पौधों का रख–रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन् अवधि तक किया जाये । गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका सरंक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गॉव का नाम, लाभांवित व्यक्ति/कृषक का नाम, मोबाईल नम्बर, खसरा नम्बर एवं प्रजाति का विवरण तथा कितने पौधे वितरित किये गये की संख्या देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे।			

अनुशंसा– प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तो के साथ परियोजना को पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

20. Case No. P2/08/2023 Shri MULCHAND PRAJAPATI, Lessee, R/o- Jaiswal Mohalla, Khalwa, Khalawa (Police Abadi), East Nimar, Madhya Pradesh – 450117. Prior Environment Clearance for Dhakochi Stone Mine in an area of 1.450 ha. (4750 cum per year) (Khasra No. 403/2), Village- Dhakochi , Tehsil- Khalwa, District-Khandwa (MP) [DEIAA]

प्रस्तावित **Stone** खदान बी–2 श्रेणी के अंतर्गत डिया द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनर्मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 15/02/2024 को परियोजना प्रस्तावक **Shri MULCHAND PRAJAPATI, online** एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमर सिंह यादव, मेसर्स एसीरीज इंनवायरोटेक इंडिया प्रा. लि. लखनऊ उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना का नाम व पता	Shri MULCHAND PRAJAPATI, Lessee, R/o- Jaiswal Mohalla, Khalwa, Khalawa (Police Abadi), East Nimar, Madhya Pradesh - 450117	
खसरा नं./ क्षेत्रफल	403/2 (निजी–नॉन फॉरेस्ट लेंड)	1.450 hectare.

(सरकारी / निजी)		
स्थल	Village- Dhakochi , Tehsil- Khalwa, District- Madhya Pradesh.	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला खण्डवा के पत्र क्रमांक 6413 दिनांक 27 / 05 / 16 के द्वारा स्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर	ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया खण्डवा के पत्र क्रमांक 66 दिनांक 03 / 03 / 2017 के द्वारा पत्थर–4750 घनमीटर / वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है।	
प्रकरण की स्थिति	डिया से सिया।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर–4750 घनमीटर / वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार पत्थर–4750 घनमीटर / वर्ष है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला खण्डला के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1055 दिनांक 01 / 12 / 23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 01 अन्य खदानें संचालित / स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 02.75 हे. होता है, अतः प्रकरण बी–2 श्रेणी का है।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला खण्डला के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1055 दिनांक 01 / 12 / 23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क / अभ्यारण्य / ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला खण्डला के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1055 दिनांक 01 / 12 / 23 अनुसार उत्तर दिशा में पक्की सड़क एवं कच्चा रास्ता लगा हुआ है, जिससे नियमानुसार पक्की सड़क से 50 मीटर एवं कच्चे रास्ते से 10 दूरी छोड़कर ही खदान स्वीकृत की गई है, शेष अन्य 500 मीटर की परिधि में नहीं है ।	
ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत ढकोची जिला मण्डला के पत्र दिनांक 30 / 11 / 23 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।	
गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	उत्तर दिशा– **पक्का रोड लगभग 90 मीटर** परियोजना प्रस्तावक **द्वारा बताया गया की 110 मीटर का सेट बैक प्रस्तावित किया है**	
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.–56 के सरल क्रमांक–45 पर दर्ज है ।	

उपरोक्त खदान को पूर्व में डिया जिला स्तरीय समिति द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसकी शर्तों के पालन प्रतिवेदन एवं अन्य बिन्दुओं के दृष्टिगत पुर्न मूल्यांकन हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया है। समिति द्वारा ई.सी. में अधिरोपित शर्तो की समीक्षा की गई ।

डिया की ई.सी. में अधिरोपित शर्तो की समीक्षा	**पालन प्रतिवेदन की वर्तमान स्थिति**
लीज के चारों ओर फेन्सिग की वर्तमान स्थिति	अपूर्ण पायी गई एवं बेरियर जोन खुदा हुआ है ।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तो के अनुसार वृक्षारोपण की वर्तमान स्थिति एवं बेरियर जोन में 7.50 मीटर पर वृक्षारोपण	अपूर्ण पायी गई।
गारलेण्ड ड्रेन एवं सेटलिंग टेंक की वर्तमान स्थिति	अपूर्ण पायी गई।

अनुमोदित माईनिंग प्लान के अनुसार खनन किये गये पिट्स में बैंचेस की स्थिति।	अवलोकित नहीं हुई।
पौधारोपण की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया कि खदान क्षेत्र बाहर वृक्षारोपण कार्य किया गया
ई.सी. में अधिरोपित शर्तो के अनुसार सामाजिक कार्य का विवरण भौतिक लक्ष्य, बजट	ग्राम पंचायत के माध्यम से सामाजिक कार्य किये।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता 4750 घनमीटर/वर्ष ।
2. परियोजना प्रस्तावक के अनुसार लीज क्षेत्र में क्रेशर प्लान्ट प्रस्तावित नही है, अतः लीज क्षेत्र में क्रेशर प्लान्ट स्थापित करने की अनुमति नही दी जा सकेगी।
3. खनन क्षेत्र से बाहर प्रस्तावित माईन आधारित क्रेशर प्लान्ट हेतु म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नियमानुसार स्थापना एवं संचालन सम्मति प्राप्त करना होगी।
4. लीज क्षेत्र के समीप खेत लगे हुये है। अतः 25 मी. का सेड बैक छोड़ते हुए खनन कार्य करना सुनिश्चित करेगें।
5. जिला खनिज अधिकारी प्रत्येक 06 माह में लीज क्षेत्र के भ्रमण के दौरान यह सुनिश्चित करेगें कि प्रतिबंधित क्षेत्र में (गैर खनन क्षेत्र) कोई खनन कार्य नहीं हुआ है। यदि परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रतिबंधित क्षेत्र में (गैर खनन क्षेत्र) खनन कार्य होना पाया जाता हो तो खनिज अधिकारी गौण खनिज अधिनियम 1996 एवं यथासंशोधित नियमों के तहत् वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित करेगा एवं पर्यावरण स्वीकृति के वॉयलेशन की सूचना सिया कार्यालय को प्रस्तुत करेगा।
6. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 03.47 लाख एवं रिक्रिंग राशि रू. 04.08 लाख प्रति वर्ष ।
7. पिट्स में बैंचेस/बेरियर जोन की स्थिति को रि–स्टोर किया जावें।
8. माईन रिस्टोरेशन कार्य माईन प्लान के अनुसार 01 वर्ष में पूर्ण किया जावें तथा खनिज अधिकारी द्वारा इसकी पूर्णता की पुष्टि की जावें तथा सभी शर्तो का पालन न होने की स्थिति में सिक्योरिटी राशि से उक्त कार्य विभागीय स्तर से किया जावें।
9. **डिया द्वारा जारी ई.सी की समस्त शर्तो का एवं उपरोक्तानुसार दर्शायें गये कार्यो को पूर्ण कर विस्तृत पालन प्रतिवेदन खनिज अधिकारी से प्रमाणिकृत करवाकर 03 माह के अंदर सिया के समक्ष प्रस्तुत करेगें।**
10. अन्य शर्तो का पालन प्रतिवेदन नियमानुसार प्रत्येक 06 माह में खनिज अधिकारी से प्रमाणिकृत करवाकर सिया के समक्ष प्रस्तुत करेगें।
11. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 01.10 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी.ई.आर मद में **प्रस्तावित गतिविधि**	**राशि (रु. में)**

परियोजना प्रस्तावक द्वारा भूप्रवेश के तीन महीने के अंदर ग्राम ढकोची में एक हैंडपंप के चारो तरफ चबूतरा बनवाकर रेन वाटर हार्वेस्टिंग पिट की स्थापना करवा दिया जाएगा ।	रू 60,000/–
ग्राम ढकोची **के किसान वाशियो के लिए कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से जैविक खाद्य निर्माण एवं उपयोग के लिए सतत प्रशिक्षण**	रू 50,000/–

12. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 1290 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	**बैरियर जोन**	बेल, अमरूद, आम, इमली, जामुन, एवं अन्य फलदार स्थानीय प्रजातियॉ,।	650
2	**परिवहन मार्ग**(पूर्ण सुरक्षा सहित) **(200 मीटर)**	इमली, कटहल, आम, अमरूद, बेल,जामुन एवं अन्य फलदार स्थानीय प्रजातियॉ,।	110
3	ढकोची ग्रामवासियों में वितरण हेतु	बेल, इमली, आंवला, कटहल, आम, अमरूद।	500
4	शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ढकोची (पूर्ण सुरक्षा सहित)	कचनार, पुत्रंजीवा मौलश्री और कुसुम, अन्य सजावटी पेड़ इत्यादि।	30
उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें खनन अवधि तक उन पौधों का रख–रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन् अवधि तक किया जाये । गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका सरंक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गॉव का नाम, लाभांवित व्यक्ति/कृषक का नाम, मोबाईल नम्बर, खसरा नम्बर एवं प्रजाति का विवरण तथा कितने पौधे वितरित किये गये की संख्या देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे।			

उक्त प्रकरण की समीक्षा की गई तकनीकी दृष्टिकोण से टॉर के लिये अनुशंसा किये जाने योग्य है, परन्तु उल्लेखनीय है कि डिया प्रकरणों के रिअप्राईजल के संबंध में MOEF &CC के OM दिनांक 15/01/2024 के माध्यम से SOP जारी किया गया है। इस प्रकरण हेतु आवेदन 15 जनवरी के पूर्व का है, अतः प्रकरण की समीक्षा एवं अनुशंसा पूर्व में निर्धारित प्रक्रिया अनुसार की गई है। अतः MOEF&CC के OM दिनांक 15/01/2024 अधीन के परिपालन में अग्रिम कार्यवाही सिया स्तर से किये जाने का आग्रह है।

21. **Case No. P2/09/2023 Shri MANOJ PANWAR, Lessee, R/o- Ward no-13, 173 Mahatma Gandhi Marg Ranapur, District- Jhabua (M.P.). Prior Environment Clearance for Dhakochi Stone Mine in an area of 2.00 ha. (6984 cum per year)**

(Khasra No. 313/1), Village-Ranapur, Tehsil-Ranapur, District-Jhabua (MP) [DEIAA]

प्रस्तावित **Stone** खदान बी–2 श्रेणी के अंतर्गत डिया द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनर्मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 15/02/2024 को परियोजना प्रस्तावक **Shri MANOJ PANWAR online** एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमर सिंह यादव, मेसर्स एसीरीज इंनवायरोटेक इंडिया प्रा. लि. लखनऊ उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना का नाम व पता	Shri MANOJ PANWAR, Lessee, R/o- Ward no-13, 173mahatma gandhi marg ranapur, District- Jhabua(M.P.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	313/1 (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लेंड)	2.00 hectare.
स्थल	Village-Ranapur, Tehsil-Ranapur, District-Jhabua, Madhya Pradesh.	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला झाबुआ के पत्र क्रमांक 1095 दिनांक 06/07/2019 के द्वारा स्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया झाबुआ के पत्र क्रमांक 03 दिनांक 31/05/2016 के द्वारा पत्थर–6,984 घनमीटर /वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है ।	
प्रकरण की स्थिति	डिया से सिया ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर–6,984 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार पत्थर–6,984 घनमीटर/वर्ष है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला झाबुआ के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 974 दिनांक 12/10/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 01 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 04.00 हे. होता है, अतः प्रकरण बी–2. श्रेणी का है।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला झाबुआ के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 974 दिनांक 12/10/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला झाबुआ के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 974 दिनांक 12/10/23 अनुसार 60 मीटर पर पक्की सड़क, 250 मीटर की दूरी पर शैक्षणिक संस्थान बालक छात्रावास एवं 300 मीटर की दूरी शासकीय महाविद्यालय भवन स्थित है, शेष अन्य 500 मीटर की परिधि में नहीं है ।	
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	कार्यालय नगर परिषद् रानापुर जिला झाबुआ के पत्र क्रमांक 47 दिनांक 30/01/19 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से परिषद् को कोई आपत्ति नहीं है ।	
वृक्षों की वर्तमान स्थिति	Tree Existing- in the barrier zone	

गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	दक्षिण पश्चिम एवं दक्षिण पूर्व दिशा– पक्का रोड लगभग 60 मीटर
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.–17 के सरल क्रमांक–11 पर दर्ज है ।

उपरोक्त खदान को पूर्व में डिया जिला स्तरीय समिति द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसकी शर्तों के पालन प्रतिवेदन एवं अन्य बिन्दुओं के दृष्टिगत पुर्न मूल्यांकन हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया है। समिति द्वारा ई.सी. में अधिरोपित शर्तो की समीक्षा की गई ।

डिया की ई.सी. में अधिरोपित शर्तो की समीक्षा	पालन प्रतिवेदन की वर्तमान स्थिति
लीज के चारों ओर फेन्सिग की वर्तमान स्थिति	अपूर्ण पायी गई।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तो के अनुसार वृक्षारोपण की वर्तमान स्थिति एवं बेरियर जोन में 7.50 मीटर पर वृक्षारोपण	अपूर्ण पायी गई।
गारलेण्ड ड्रेन एवं सेटलिंग टेंक की वर्तमान स्थिति	अपूर्ण पायी गई।
अनुमोदित माईनिंग प्लान के अनुसार खनन किये गये पिट्स में बैंचेस की स्थिति।	अवलोकित नहीं हुई।
पौधारोपण की स्थिति	अवलोकित नहीं हुई।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तो के अनुसार सामाजिक कार्य का विवरण भौतिक लक्ष्य, बजट	अवलोकित नहीं हुई।

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान माईनिंग प्लान में ब्लास्टिंग प्रस्तावित है, उनके द्वारा नॉन ब्लास्टिंग का माईनिंग प्लान प्रस्तावित किया है अतः संशोधित माईनिंग प्लान सक्षम अधिकारी से अनुमोदित कराकर प्रस्तुत किया जावेगा। **समिति ने विचारोपरांत परियोजना प्रस्तावक के प्रस्ताव को मान्य करते हुये उपरोक्त जानकारी प्रस्तुत करने हेतु एडीएस जारी किया जावे।**

22. Case No. P2/10/2023 Shri RAKESH KUMAR , R/o-Village Dongargaon, Tehsil-Susner, District- Agar Malwa, M.P. Prior Environment Clearance for Soyatkalan Stone Quarry in an area of 2.90 ha. (Stone-15000, M-Sand-10000 cum per year) (Khasra No. 1326/4/2), Village-Soyatkalan, Tehsil-Susner, District-Agar Malwa (MP).

प्रस्तावित **Stone** खदान बी–2 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जिसमें आज दिनांक 15/02/2024 को परियोजना प्रस्तावक राकेश कुमार एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री राम राघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आईएनसी, बडौदा, गुजरात उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना का नाम व पता	Shri RAKESH KUMAR , R/o-Village Dongargaon, Tehsil- Susner, District- Agar Malwa, M.P	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	1326/4/2 (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लेंड)	2.90 hectare.
स्थल	Village - Soyatkalan, Tehsil- Susner, District- Agar Malwa (M.P.)	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला आगर मालवा के पत्र क्रमांक 483 दिनांक 17/07/23 के द्वारा स्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।	
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर – 15,000 घनमीटर/वर्ष एवं एम–सेंड – 10,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार पत्थर – 15,000 घनमीटर/वर्ष एवं एम–सेंड – 10,000 घनमीटर/वर्ष है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला आगरमालवा के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 969 दिनांक 11/12/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 01 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 4.90 हे. होता है, अतः प्रकरण बी–2 श्रेणी का है।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला आगरमालवा के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 969 दिनांक 11/12/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला आगरमालवा के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 969 दिनांक 11/12/23 अनुसार 1.5 किलोमीटर की दूरी पर राजस्थान राज्य की सीमा, 130 मीटर की दूरी पर पक्का रास्ता एवं 200 मीटर की दूरी पर नाला स्थित है, शेष अन्य 500 मीटर की परिधि में नहीं है ।	
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	नगर परिषद सोयतकलॉ जिला आगरमालवा के पत्र क्रमांक 959 दिनांक 23/5/23 नगर परिषद को कोई आपत्ति नहीं है ।	
वृक्षों की वर्तमान स्थिति	Tree Existing - No	
गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	दक्षिण दिशा– पक्का रोड लगभग 120 मीटर 80 मीटर का सेटबैक प्रस्तावित किया है ।	
	पश्चिम दिशा– नाला लगभग 210 मीटर	
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला आगर मालवा के पत्र क्रमांक 715 दिनांक 04/09/23 अनुसार उक्त खदान नवीन जिला सर्वेक्षण	

	रिपोर्ट में सम्मिलित कर ली जावेगी । समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण समाघॉत निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 – जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर – 15,000 घनमीटर/वर्ष एवं एम–सेंड – 10,000 घनमीटर/वर्ष।
2. खनन क्षेत्र में प्रस्तावित माईन आधारित क्रेशर प्लान्ट हेतु म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नियमानुसार स्थापना एवं संचालन सम्मति प्राप्त करना होगी।
3. म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित क्रेशर प्लान्ट में वायु प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना सुनिश्चित की जावेगी।
4. जिला खनिज अधिकारी प्रत्येक 06 माह में लीज क्षेत्र के भ्रमण के दौरान यह सुनिश्चित करेगें कि प्रतिबंधित क्षेत्र में (गैर खनन क्षेत्र) कोई खनन कार्य नहीं हुआ है। यदि परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रतिबंधित क्षेत्र में (गैर खनन क्षेत्र) खनन कार्य होना पाया जाता हो तो खनिज अधिकारी गौण खनिज अधिनियम 1996 एवं यथासंशोधित नियमों के तहत् वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित करेगा एवं पर्यावरण स्वीकृति के वॉयलेशन की सूचना सिया कार्यालय को प्रस्तुत करेगा।
5. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 12.37 लाख एवं रिक्रिंग राशि रू. 03.00 लाख प्रति वर्ष ।
6. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.90 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी.ई.आर मद में **प्रस्तावित गतिविधि**	**राशि (रु. में)**
रोगी कल्याण विकास मंडल सोयतकलां में ग्राम के प्राथमिक स्वास्थ केंद्र एवं स्वास्थ व्यवस्थाओं हेतु उल्लेखित राशि भू प्रवेश के 06 माह के अंदर प्रदान की जावेगी.	**50,000/-**
नजदीकी ग्रामों में जैविक खाद के उत्पादन एवं उपयोग के लाभ समझाने एवं श्री अन्न योजना के प्रचार हेतु पंचायत एवं कृषि विभाग के माध्यम	**40,000/-**

से प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जावेगा ।	
Total	90,000/-

7. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 3500 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

क्रं.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन में	काला सिरिस, सफेदसिरिस, खमेर, नीम, पीपल, सिस्सू, जंगल जलेबी, करंज , सीताफल, चिरोल आदिएवंअन्य स्थानीय प्रजातियाँ।	800
2	गैर खनन क्षेत्र में	खमेर, काला सिरिस, सफेदसिरिस, नीम, आमला, पीपल, सिस्सू, करंज, सीताफल, चिरोल आदि एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ।	300
3	परिवहन मार्ग (1.5 मी. से अधिक ऊचाई के पौधें।)	करंज, पीपल, बरगद, पुतरंजीवा, कदम्बइत्यादि एवंअन्य स्थानीय प्रजातियाँट्री–गार्ड के साथ	120
4	ग्राम सोयतकलां के माध्यमिक शासकीय विध्यालय में	पीपल, मोलश्री, सिस्सू, कदम्ब, कचनार, नीम आदि एवं अन्य स्थानीयप्रजातियाँ।	75
5	ग्रामीणों मे पौधो का वितरण	कटहल, संतरा, आमला, नींबू, सीताफल, आम, अनार, मुनगा , आदिएवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	2300

उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें खनन अवधि तक उन पौधों का रख–रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन् अवधि तक किया जाये । गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका सरंक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गॉव का नाम, लाभांवित व्यक्ति/कृषक का नाम, मोबाईल नम्बर, खसरा नम्बर एवं प्रजाति का विवरण तथा कितने पौधे वितरित किये गये की संख्या देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे।

अनुशंसा– प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तो के साथ परियोजना को पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

सदस्य सचिव

(डॉ. पी.सी. दुबे)
अध्यक्ष

Following standard conditions shall be applicable for the mining projects of minor mineral in addition to the specific conditions and cases appraised for grant of TOR:

Annexure- 'A'

Standard conditions applicable to Stone/Murrum and Soil quarries:

1. Mining should be carried out as per the submitted land use plan and approved mine plan. The regulations of danger zone (500 meters) prescribed by Directorate General of Mines safety shall also be complied compulsorily and necessary measures should be taken to minimize the impact on environment.
2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and fenced from all around the site. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded along with annual record of water consumed in sprinkling during Summer (February to May/June) and winter session (October to January) separately.
4. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
5. Mineral evacuation road shall be made pucca (WBM/black top) by PP.
6. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
7. Crusher with inbuilt APCD & water sprinkling system shall be installed minimum 100 meters away from the road and 500 meters away from the habitations only after the permissions of MP Pollution Control Board with atleast 04 meters high wind breaking wall of suitable material to avoid fugitive emissions.
8. Working height of the loading machines shall be compatible with bench configuration.
9. Slurry Mixed Explosive (SME) shall be used instead of solid cartridge.
10. The OB shall be reutilized for maintenance of road. PP shall bound to compliance the final closure plan as approved by the IBM.
11. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
12. Six monthly occupational health surveys of workers for Cardio-vascular & Pulmonary health, vital parameters as prescribed by concerned regulatory authority shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
13. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
14. To avoid vibration, no overcharging shall be carried out during blasting and muffle blasting shall be adopted. Blasting shall be carried out through certified blaster only and no explosive will be stored at mine site without permission from the competent authority.
15. Mine water should not be discharged from the lease and be used for sprinkling & plantations. For surface runoff and storm water garland drains and settling tanks (SS pattern) of suitable sizes shall be provided.
16. All garland drains shall be connected to settling tanks through settling pits and settled water shall be used for dust suppression, green belt development and beneficiation plant. Regular de-silting of drains and pits should be carried out.
17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.

19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area. PP shall take Socio-economic activities in the region through the 'Gram Panchayat'.
20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
23. All the mines where production is > 50,000 cum/year, PP shall develop its own website to display various mining related activities proposed in EMP & CER along with budgetary allocations. All the six monthly progress report shall also be uploads on this website along with MoEF&CC & SEIAA, MP with relevant photographs of various activities such as garland drains, settling tanks, plantation, water sprinkling arrangements, transportation & haul road etc. PP or Mine Manager shall be made responsible for its maintenance & regular updation.
24. All the soil queries, the maximum permitted depth shall not exceed 02 meters below general ground level & other provisions laid down in MoEF&CC OM No. L-11011/47/2011-IA.II(M) dated 24/06/2013.
25. The mining lease holders shall after ceasing mining operation, undertake re-grassing the mining area and any other area which may have been disturbed due to their mining activities and restore the land to a condition which is fit for growth of fodder, flora , fauna etc. Moreover, a separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
26. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEF&CCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
27. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
28. Authorization (if required) under Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 should be obtained by the PP if required.
29. A display board (in hindi) with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
    a. Lease owner's Name, Contact details etc.
    b. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
    c. Length, breadth, sanctioned depth of mine and mining time.
    d. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
    e. Method of mining (Mannual/Semi Mechanised) and Blasting or Non-blasting.
    f. Plantation and CER activities.
30. Dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
31. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out as per submitted plantation scheme and along the fencing seed sowing of Neem, Babool, Safed Castor etc shall also be carried out.
32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.

34. Before onset of monsoon season as per submitted plantation scheme fruit bearing species preferably of fodder / native shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
36. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.

Annexure- 'B'

Standard conditions applicable for the Sand Mine Quarries*

1. District Authority should annually record the deposition of sand in the lease area (at an interval of 100 meters for leases 10 ha or > 10.00 ha and at an interval of 50 meters for leases < 10 ha.) before monsoon & in the last week of September and maintain the records in RL (Reduce Level) Measurement Book. Accordingly authority shall allow lease holder to excavate only the replenished quantity of sand in the subsequent year.
2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
4. Only registered vehicles/tractor trolleys with GPS which are having the necessary registration and permission for the aforesaid purpose under the Motor Vehicle Act and also insurance coverage for the same shall alone be used for said purpose.
5. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
6. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
7. Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometer (1Km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side, subjected to a minimum of 250 meters on the upstream side and 500 meters on the downstream side.
8. Mining depth should be restricted to 3 meters or water level, whichever is less and distance from the bank should be $1/4^{th}$ or river width and should not be less than 7.5 meters. No in-stream mining is allowed. Established water conveyance channels should not be relocated, straightened, or modified.
9. Demarcation of mining area with pillars and geo-referencing should be done prior to the start of mining.
10. PP shall carry out independent environmental audit atleast once in a year by reputed third party entity and report of such audit be placed on public domain such audits be placed on public domain through website developed for public interface along with photographs of work done w.r.t. EMP as well as CER.
11. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
12. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 and Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining, 2020 issued by the MoEF&CC ensuring that the annual replenishment of sand in the mining lease area is sufficient to sustain the mining operations at levels prescribed in the mining plan.
13. If the stream is dry, the excavation must not proceed beyond the lowest undisturbed elevation of the stream bottom, which is a function of local hydraulics, hydrology, and geomorphology.
14. After mining is complete, the edge of the pit should be graded to a 2.5:1 slope in the direction of the flow.
15. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.

16. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
17. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights. All these facilities such as rest shelters, site office etc. Shall be removed from site after the expiry of the lease period.
18. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020 and these details should be provided in Annual Environmental Statement.
19. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
20. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
21. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
22. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.
23. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
24. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
25. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
26. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M dated 16/01/2020.
27. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
28. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
29. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
    g. Lease owner's Name, Contact details etc.
    h. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
    i. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
    j. Minable Potential of sand mine.
    k. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
    l. Method of mining (Mannual/Semi Mechanised)
30. Following conditions must be implemented by PP in case of sand mining as per NGT (CZ) order dated 19/10/2020 in OA NO. 66/2020 and SEIAA's instruction vide letter No. 5084 dated 09/12/2020.
    i. The Licensee must use minimum number of poclains and it should not be more than two in the project site.
    ii. The District Administration should assess the site for Environmental impact at the end of first year to permit the continuation of the operation.
    iii. The ultimate working depth shall be 01 m from the present natural river bed level and the thickness of the sand available shall be more than 03 m the proposed quarry site.
    iv. The sand quarrying shall not be carried out blow the ground water table under any circumstances. In case, the ground water table occurs within the permitted depth at 01 meter, quarrying operation shall be stopped immediately.
    v. The sand mining should not disturb in any way the turbidity, velocity and flow pattern of the river water.

vi. After closure of the mining, the licensee shall immediately remove all the sheds put up in the quarry and all the equipments used for operation of sand quarry. The roads/pathways shall be leveled to let the river resume its normal course without any artificial obstruction to the extent possible.

vii. The mined out pits to be backfilled where warranted and area should be suitable landscaped to prevent environmental degradation.

viii. PP shall adhere to the norms regarding extent and depth of quarry as per approved mining plan. The boundary of the quarry shall be properly demarcated by PP.

31. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the river banks for bank stabilization and to check soil erosion while on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
34. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
36. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.
37. As per Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020 , Page no. 24 Para (r) minimum 7.5 meters (inward) "from the river…….bank" shall be restricted should be followed in verbatum as the para says.
38. **विगत वर्षो में जारी पूर्व पर्यावरण स्वीकृति में एवं वर्तमान में जारी पर्यावरण स्वीकृति में उल्लेखित समस्त शर्तो का पालन मध्यप्रदेथ स्टेट माईनिंग कॉर्पोरेथन द्वारा सुनिश्चित किया जावेगा।**
39. **पूर्व एवं वर्तमान ई.सी. शर्तो का पालन प्रतिवेदन निर्धारित समयावधि में एम.ओ.ई.एफ. एण्ड सी.सी. तथा एम.पी. सिया, के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।**

Annexure- 'C'

Standard conditions applicable for the Sand deposits on Agricultural Land/ Khodu Bharu Type Sand Mine Quarries*

1. Mining should be done only to the extent of reclaiming the agricultural land.
2. Only deposited sand is to be removed and no mining/digging below the ground level is allowed.
3. The mining shall be carried out strictly as per the approved mining plan.
4. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
5. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.

6. The mining activity shall be done as per approved mine plan and as per the land use plan submitted by PP.
7. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
8. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
9. For carrying out mining in proximity to any bridge and/or embankment, appropriate safety zone on upstream as well as on downstream from the periphery of the mining site shall be ensured taking into account the structural parameters, location aspects, flow rate, etc., and no mining shall be carried out in the safety zone.
10. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
11. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 issued by the MoEF&CC.
12. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
13. Thick plantation shall be carryout on the banks of the river adjacent to the lease, mineral evacuation road and common area in the village. PP would maintain the plants for five years including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations.
14. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
15. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
16. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.
20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
23. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
24. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
25. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
26. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
    m. Lease owner's Name, Contact details etc.
    n. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
    o. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
    p. Minable Potential of sand mine.

q. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
r. Method of mining (Mannual/Semi Mechanised)

27. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the nearby river banks for bank stabilization and to check soil erosion while dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
28. Dense plantation shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
29. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out in the first year itself as per submitted plantation scheme.
30. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
31. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. Plantation in adjoining forest land shall be carried out through concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
32. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
33. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
34. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
35. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.
36. The monitoring of the compliance of the conditions incorporated in the Environmental Clearance issued prior to the State Mining Corporation shall be carried out through the District mining office at District level and compliances be communicated to SEIAA within 06 months.
37. Riparian habitat including vegetative cover on and adjacent to the river bank controls erosion, provide nutrient inputs into the stream and prevent intrusion of pollutatns in the stream through runoff. Bank erosion and change of morphology of the river can destroy the riparian vegetative cover should be protected.
38. Demarcation of mining area with pillars and geo-referencing should be done prior to start of mining.
39. The State Mining Corporation shall constitute an Environmental Cell including minimum of three persons qualified in the field to ensure the compliance of EC conditions.
40. The State Mining Corporation shall ensure the compliance of the different provision made in the Sand Mining Management Guidelines-2016 & Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020, with Special reference to the para 4.3 and para-8 at page no. 45 of the said Guidelines.
41. Sand and gravel shall not be allowed to be extracted where erosion may occur, such as at the concave bank.

42. The slope of mining area adjacent to agricultural fields should be proper (preferably 45 degree) and adequate gap (minimum 10 feet) be left from adjacement agricultural field to avoid erosion and scouning.
43. In sand mining over other areas apart from river bed replenishment study in the said area be carriedout every year by Mining Officer and subject to availability of sand quantity mining should allowed by Mining Officer during EC period as Sand replacement in such areas are subject to certain conditions and not a regular feature.
44. The top soil in Khodu-Bharu Sand mine shall be stored separately and shall be used for agriculture field only; it should not be washed away during sand washing process.

Annexure- 'D'

General conditions applicable for the granting of TOR

1. The date and duration of carrying out the baseline data collection and monitoring shall be informed to the concerned Regional Officer of the M.P Pollution Control Board.
2. During monitoring, photographs shall be taken as a proof of the activity with latitude & longitude, date, time & place and same shall be attached with the EIA report. A drone video showing various sensitivities of the lease and nearby area shall also be shown during EIA presentation.
3. An inventory of various features such as sensitive area, fragile areas, mining / industrial areas, habitation, water-bodies, major roads, etc. shall be prepared and furnished with EIA.
4. An inventory of flora & fauna based on actual ground survey shall be presented.
5. Risk factors with their management plan should be discussed in the EIA report.
6. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.
7. The EIA document shall be printed on both sides, as far as possible.
8. All documents should be properly indexed, page numbered.
9. Period/date of data collection should be clearly indicated.
10. The letter /application for EC should quote the SEIAA case No./year and also attach a copy of the letter prescribing the TOR.
11. The copy of the letter received from the SEAC prescribing TOR for the project should be attached as an annexure to the final EIA/EMP report.
12. The final EIA/EMP report submitted to the SEIAA must incorporate all issues mentioned in TOR and that raised in Public Hearing with the generic structure as detailed out in the EIA report.
13. Grant of TOR does not mean grant of EC.
14. The status of accreditation of the EIA consultant with NABET/QCI shall be specifically mentioned. The consultant shall certify that his accreditation is for the sector for which this EIA is prepared. If consultant has engaged other laboratory for carrying out the task of monitoring and analysis of pollutants, a representative from laboratory shall also be present to answer the site specific queries.
15. On the front page of EIA/EMP reports, the name of the consultant/consultancy firm along with their complete details including their accreditation, if any shall be indicated. The consultant while submitting the EIA/EMP report shall give an undertaking to the effect that the prescribed TORs (TOR proposed by the project proponent and additional TOR given by the MOEF & CC) have been complied with and the data submitted is factually correct.
16. While submitting the EIA/EMP reports, the name of the experts associated with involved in the preparation of these reports and the laboratories through which the samples have been got analyzed should be stated in the report. It shall be indicated whether these laboratories are approved under the Environment (Protection) Act, 1986 and also have NABL accreditation.
17. All the necessary NOC's duly verified by the competent authority should be annexed.
18. PP has to submit the copy of earlier Consent condition /EC compliance report, whatever applicable along with EIA report.
19. The EIA report should clearly mention activity wise EMP and CER cost details and should depict clear breakup of the capital and recurring costs along with the timeline for incurring the capital cost. The basis of allocation of EMP and CER cost should be detailed in the EIA report to enable the comparison of compliance with the commitment by the monitoring agencies.
20. A time bound action plan should be provided in the EIA report for fulfillment of the EMP commitments mentioned in the EIA report.

21. The name and number of posts to be engaged by the PP for implementation and monitoring of environmental parameters should be specified in the EIA report.
22. EIA report should be strictly as per the TOR, comply with the generic structure as detailed out in the EIA notification, 2006, baseline data is accurate and concerns raised during the public hearing are adequately addressed.
23. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.
24. Public Hearing has to be carried out as per the provisions of the EIA Notification, 2006. The issues raised in public hearing shall be properly addressed in the EMP and suitable budgetary allocations shall be made in the EMP and CER based on their nature.
25. Actual measurement of top soil shall be carried out in the lease area at minimum 05 locations and additionally N, P, K and Heavy Metals shall be analyzed in all soil samples. Additionally in one soil sample, pesticides shall also be analyzed.
26. A separate budget in EMP & CER shall be maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
27. PP shall submit biological diversity report stating that there is no adverse impact in- situ and on surrounding area by this project on local flora and fauna's habitat, breeding ground, corridor/ route etc. This report shall be filed annually with six-monthly compliance report.
28. The project proponent shall provide the mitigation measures as per MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area" with EIA report.
29. LPG gas may be provided for camping labour under "Ujjwala Yojna .
30. In the project where ground water is proposed as water source, the project proponent shall apply to the competent authority such as Central Ground Water Authority (CGWA) as the case may be for obtaining, No Objection Certificate (NOC).
31. Consideration of mining proposals involving violation of the EIA Notification, 2006, the project proponent shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court of India dated 02/08/2017 in WP © No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause V/s Union of India & others before grant of TOR/EC. The under taking interalia includes commitment of the PP not to repeat any such violation in future as per MoEF&CC OM No. F.NO. 3-50/2017-IA.III (Pt.) dated 30/05/2018.
32. The mining project proponents involving violations of the EIA Notification, 2006 under the provisions of S.O. 804 (E) dated 14/03/2017 and subsequent amendments for TOR/EC shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court dated the 2nd August 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause versus Union of India and Ors. Before grant of TOR/EC the undertaking inter-alia include commitment of the PP not to repeat any such violation of future. In case of violation of above undertaking, the TOR/Environmental Clearance shall be liable to be terminated forthwith.
33. If the allotted land is private land and agricultural practices are being carriedout in the nearby area, the effect of mining on agricultural practices shall be studied and dicussed in the EIA report with the economic value of agricultural produce for last three yaears and details of total land holding of the PP in that district.
34. In case of mining on land where the land belongs to Charagah (Grazing) as per P-II form, proposal for development of equal area of land as grazing land shall be submitted with EIA report with its budgetary provisions. This Grazing land can be developed in consultation with DFO or Gram Panchayat of concerned area.
35. Under CER scheme commitments with physical targets shall be included in EIA report for:

    - ✓ Proposal for CER activities based upon commitment made during public hearing and COVID-19 pandemic.
    - ✓ Activities such as solar panels in school, awareness camps for Oral Hygiene, Diabetes and Blood Pressure, works related to plantation (distribution of fruit & fodder bearing trees) vaccination, cattle's health checkup etc. in concerned village shall be proposed.
    - ✓ No fuel wood shall be used as a source of energy by mine workers. Thus proposal for providing solar cookers / LPG gas cylinders under "Ujjwala Yojna" to them who are residing in the nearby villages, shall be considered.
    - ✓ PP's commitment that activities proposed in the CER scheme will be completed within initial 03 years of the project and in the remaining years shall be maintained shall be submitted with EIA report.

36. Under Plantation Scheme commitments with budgetary allocations shall be included in EIA report for :
   - ✓ Comprehensive green belt plan with commitment that entire plantation shall be carried out in the initial three years and will be maintained thereafter with causality replacement. Proposal for distribution of fruit bearing species for nearby villagers shall also be incorporated in the plantation scheme and for which a primary survey for need assessment in concerned village shall be carried out.
   - ✓ Commitment that plantation shall be carried out preferably through Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
   - ✓ Commitment that high density plantation (preferably using "Miyawaki Technique or WALMI technique) shall be developed in 7.5m barrier zone left for plantation through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency.
   - ✓ Commitment that local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land suitable for the purpose through Forest Department/ through Gram Panchayat on suitable community land in the concerned village area.
   - ✓ PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
   - ✓ Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, minimum 50 saplings be planted considering 80% survival.
   - ✓ Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.

37. **FOR PROJECTS LOCATED IN SCHEDULED (V) TRIBAL AREA , following should be studied and discussed in EIA Report before Public Hearing as per the instruction of SEIAA vide letter No. 1241 dated 30/07/2018.**
   - Detailed analysis by a National Institute of repute of all aspects of the health of the residents of the Schedule Tribal block.
   - Detailed analysis of availability and quality of the drinking water resources available in the block.
   - A study by CPCB of the methodology of disposal of industrial waste from the existing industries in the block, whether it is being done in a manner that mitigate all health and environmental risks.
   - The consent of Gram Sabah of the villages in the area where project is proposed shall be obtained.

38. प्रश्नाधीन खदान में यदि पेड़ लगे होतो अतः उनकी प्रजाति, ऊचाई, गर्थ के जियोटेग फोटोग्राफ एवं यदि उनमें से कोई पेड काटा जाना प्रस्तावित हो तो उन्ही प्रजाति के 10 गुना अतिरिक्त पेड लगाने का प्रस्ताव पौधा रोपण स्कीम में शामिल करते हुये ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
39. प्रश्नाधीन खदान के 500 मी. की परिधि में स्थित संवेदनशील घटकों(जैसे प्राकृतिक नाला, नदी, नहर, आबादी कच्ची एवं पक्की सडक, पुरातत्व महत्व के स्थल इत्यादि) की खदान से दूरी दर्शातें हुये एवं स्थानवार मापदण्ड छोडते हुये सरफेस मेप को ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
40. यदि कृषि भूमि लीज क्षेत्र से समीप हों तो 25 मी. का सेटबेक छोडते हुये सरफेस मेप में दर्शाये।
41. स्थानीय स्तर पर कार्बन के दूष्प्रभाव को रोकने के लिये एक व्यवसायिक व्यवस्था के अंतगर्त 500 मीटर से 1.0 किलोमीटर के अंदर किसानो द्वारा लगाये गये बढे पेडो को चिन्हित कर इनके द्वारा अवशोषित कार्वन डाइआक्साइड के एवज् में किसानो को भुगतान किया जावेगा, कार्बन फुटप्रिन्ट हेतु किसानों को देय राशि ई.एम.पी. में शामिल किया जाये।

42. CER योजना के अंतर्गत जैविक खाद निर्माण, उत्पादन, उपयोग, मार्केटिंग, प्रोत्साहन आदि प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रत्येक 6–6 माह में कृषि विज्ञान केन्द्र के माध्यम से ग्राम में करने का प्रस्ताव बजट सहित प्रस्तुत करे।
43. अनुमोदित माईनिंग प्लान के अनुसार खनन किये गये पिट्स में बैंचेस की स्थिति।

खदान क्षेत्र मे किये जाने वाले वृक्षारोपण हेतु निर्देश :–

नोट 1 :– स्थल विशेष हेतु प्रजातियों के चयन में स्थानीय मृदा के प्रकार, संरचना, गहराई को ध्यान में रखकर रोपण किया जाना चाहिए ।

नोट 2 :– विषय विशेषज्ञ, उक्त विषय में रूचि रखने वाले स्थानीय जानकारो से राय ली जाने की सलाह है ।

नोट 3 :– पौधो की बढ़त हेतु सड़ी गोबर की खाद, केचुआ खाद, आवश्यक होने पर अच्छी मृदा का उपयोग, समय पर रोपण, पौधों की देख–रेख, मृदा नमीं को बनाये रखने हेतु मल्चिंग जल–संरचनाओं का निर्माण, निदाई–गुड़ाई, सिंचाई एवं सुरक्षा का पर्याप्त उपाय करना चाहिए ।

नोट 4 :– परिवहन मार्ग के किनारे लगाये जाने वाले पेड़ो के चारो ओर ट्री गार्ड होना आवश्यक है । इसी प्रकार स्कूल/ ऑगनवाडी/पंचायत भवन इत्यादि में प्रस्तावित वृक्षारोपणो के चारो ओर सुरक्षा के इंतजाम जैसे फेंसिग/ट्री गार्ड आवश्यक रूप से प्रस्तावित किये जाये ।

नोट 5 :– भू–क्षरण स्थल पाये जाने पर भू–संरक्षण का कार्य (विशेष रूप से वाटर चेनल के किनारे तथा उत्पत्ति स्थान पर) किया जाना चाहिए।

नोट 6 :– रोपित पौधो का मापदंड एवं अन्य कार्य

क.	स्थल	ऊँचाई न्यूनतम्	गोलाई न्यूनतम्
1.	बैरियर जोन/नॉन माईनिंग क्षेत्र	02.5 – 03.0 फिट	03–05 से. मी.
2.	रोड़ साईड/स्कूल/ ऑगनवाडी	03.5 – 05.5 फिट	05–10 से.मी.
3.	पौधों के चारों ओर निदाई–गुड़ाई, थाला (1.5 मी.गोलाई में) तीन वर्षो तक ।		
4.	आवश्यक्तानुसार सिंचाई एवं प्राथमिकता पर जैविक खाद		

नोट 7 :– बीज बुआई एवं अंकुरण पश्चात् देख–रेख –

- स्थानीय स्तर पर बीज संग्रहण एवं गुड़ाई/जुताई उपचार, वर्षा पूर्व रोपण। जामुन, महुँआ, नीम, साल बीज का रोपण बीज गिरने के तुरंत (07 दिवस के अंदर) पश्चात् रोपण ।
- अंकुरण पश्चात् 4 से 6 पत्तियॉ आने पर, पौधे के चारों तरफ निदाई–गुड़ाई एवं सड़ी गोबर की खाद डालना।
- बीज रोपण तीन वर्षो तक लगातार पौधों की जीवितता एवं सफलता के आधार पर करना ।
- सीड–बाल विधि से भी बीज रोपण किया जा सकता है।

नोट – 8 :– रेत के प्रकरणों में (पौधो की ऊँचाई न्यूनतम् 1.5 मीटर)

1	एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति की दूरी एवं दूसरी से तीसरी पंक्ति शाकीय पौधे जैसे : खस, घास, अगेव स्थानीय घास बीजप्रजातियॉ।	1.00 से 1.5 मीटर (पंक्ति में पौधो के बीच की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर)
2	4 पंक्ति से 5वीं पंक्ति (वृक्ष प्रजाति)	न्यूनतम् दूरी 3 मीटर (पौधों के बीच में दूरी 03 मीटर)
3	6वीं पंक्ति 3.0 से 5.0 मीटर (वृक्ष प्रजाति)	पौधों के बीच में 3 से 5 मीटर

- (चयनित प्रजातियों एवं नदी के किनारों पर भूमि की उपलब्धता को ध्यान में रखकर आवंटित क्षेत्र से बाहरी दिशा में 10 से 15 मीटर की चौड़ाई में हरित पट्टी विकसित किया जाये)
- नोट – 9 :– छठी पंक्ति हेतु पौधों की सुरक्षा अवधि न्यूनतम् 3 वर्ष
- जामुन, कहवा, कंरज, नीम, पौधों में पौधों की दूरी 2.5 मीटर से 5 मीटर लसोड़ा, करंज, आम, इत्यादि ।
- नोट – प्रथम तीन पंक्तियों के पौधों के मध्य में एक वर्षीय औषधि प्रजातियों का बीच छिड़काव ।

1	पहली, दूसरी, तीसरी पंक्ति हेतु (स्थानीय घांस प्रजातियॉ, खस घास बीजअगेव आदि)	पंक्ति से पंक्ति की दूरी 01 से 10.5 फीट पंक्ति में पौधों से पौधों की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर ।
2	स्थाानीय झाड़ी प्रजाति के पौधे	01 11.6 फीटर
3	चौथी से पॉचवी, छठवीं पंक्ति हेतु बॉस एवं स्थानीय झाड़ी प्रजाति ।	पंक्ति की दूरी 2.5 मीटर से 3 मीटर पंक्ति में पौधों की दूरी 3 मीटर से 5 मीटर

- मौसमी नदी के न्यूनतम 05 मीटर तथा पेरिनियल रिवर में न्यूनतम 10मी तक घाटो के किनारे स्थित वृक्षो, झाडियों, लताओ को और घास को क्षति नहीं पहूॅचाई जायेगी।
- रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।
- खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन् क्षेत्र में कोई च्तवदम ठतममकपदह ब्मदजमत तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे